कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 65 अंक : 5 पृष्ठ : 56 मार्च 2019 मूल्य : ₹22

ग्रामीण विकास की संभावनाएं

अंतरिम बजट 2019–20 और ग्रामीण विकास

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- संशोधित अनुमान 2018–19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019–20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया।
- गऊ संसाधनों के आनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।
- 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग।
- पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन। केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।
- 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।
- मनरेगा के लिए 2019–20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019–20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया।
- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।
- शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।
- सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
- सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा।
- सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्राम बनाएगी।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

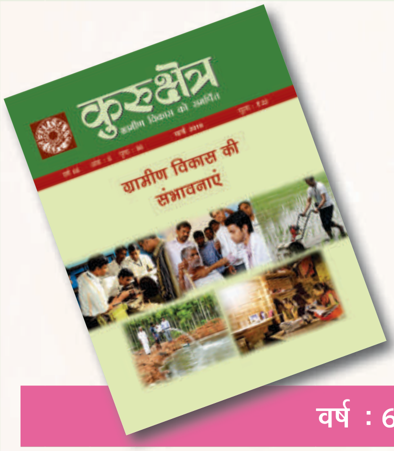

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 65★ मासिक अंक : 5★ पृष्ठ : 56 ★ फाल्गुन–चैत्र 1940–41★ मार्च 2019

प्रधान संपादक
शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिशिर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

अंतरिम बजट 2019-20 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल — जी. श्रीनिवास — 5

ग्रामीण विकास का आधार कृषि — चंद्रभान यादव — 7

सतत कृषि विकास का लक्ष्य — सतीश सिंह — 11

आर्थिक सुरक्षा के लिए वित्तीय समावेशन — मंजुला वाधवा — 15

ग्रामीण युवा सशक्तीकरण के लिए पहल — प्रभाकर साहू और अभिरूप भुनिया — 20

महिला और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण — डॉ. संतोष जैन पासी एवं आकांक्षा जैन — 24

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली — शशि रानी देव — 31

ग्रामीण अवसंरचना विकास — डॉ. के.के. त्रिपाठी — 37

डिजिटल होता ग्रामीण भारत — सिद्धार्थ पी. सैकिया — 43

विद्युतीकृत गांव - पॉवर सरप्लस भारत — डॉ. अभिलाषा शर्मा — 47

जागरूकता में बदली स्वच्छता — संजय श्रीवास्तव — 50

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

ग्रामीण विकास से तात्पर्य आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक दशा सुधारने से है। ग्रामीण लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य गरीबी दूर करने के उपायों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन उपायों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के साथ–साथ सामुदायिक अवसंरचना सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, सड़क और संचार संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

ग्रामीण लोगों को स्वयं अपने विकास की ओर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं और हाल के वर्षों में अधिक बजट संसाधनों के आवंटन और मात्रात्मक वितरणों के लिए समय–सीमा तय करके ग्रामीण विकास पहलों की गति को तेज किया गया है। सीधे रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण, किफायती दामों पर वित्तीय सेवाएं और स्वास्थ्य सेवा को ग्रामीण लोगों के द्वार तक ले जाने के लिए कई लक्षित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है; कृषि और संबद्ध गतिविधियां उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं। यह देखा गया है कि कृषि विविधीकरण द्वारा उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से भविष्य में कृषि विकास को मज़बूती मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा, बागवानी और अन्य संबद्ध गतिविधियों में रोजगार के व्यापक अवसर हैं जोकि न केवल आय का जरिया बनते हैं बल्कि ग्रामीण विकास में भी मददगार साबित होते हैं।

कृषि क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए इसे शुद्ध उत्पादन–केंद्रित दृष्टिकोण तक सीमित न रखकर आय–केंद्रित दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में विस्तार से निवेश, आपूर्ति और विपणन तक सभी क्षेत्रों में सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हाल के दिनों में वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास में तेजी आई है जोकि ग्रामीण भारत में व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है। ऋण, बचत, सस्ती दरों पर ग्रामीण लोगों को बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध होने से निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आई है।

निरंतर ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता और स्थापित क्षमता के विस्तार के लिए कई पहल की गई हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु ग्रामीण पेयजल अवसंरचना में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण स्वच्छता अवसंरचना निर्माण में भी काफी तेजी आई है। ऊर्जा क्षेत्र में, निरंतर प्रयासों से बिजली तक पहुंच बढ़ी है और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

भारत में ग्रामीण संपर्क ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख घटक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण संपर्क को अधिक व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने का मुख्य तंत्र है। हालिया पहल के परिणामस्वरूप पात्र ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम अनुकूल एकल सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से हुआ है। वह समय अब दूर नहीं है जब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे।

ग्रामीण आवास के प्रावधान में प्रगति और आवासीय योजनाओं के तहत योग्य वंचित लाभार्थियों तक पहुंचने और ग्रामीण लोगों का सभी सुविधाओं के साथ अपना पक्का घर होने का सपना पूरा होने में अभी लंबा वक्त लगेगा।

संचार क्षेत्र में तीव्र क्रांति में ग्रामीण लोगों को आवश्यक डिजिटल संचार अवसंरचना और सस्ती सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के प्रयास से सूचनाओं का निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित होगा और गांव सशक्त होंगे।

ग्रामीण भारत को स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के करीब लाने की परिकल्पना की गई है। ऐसी योजना बनाई गई है कि स्वास्थ्य सेवाओं को घरेलू–स्तर, सामुदायिक और ग्रामीण–स्तर पर ग्रामीण आबादी तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सभी स्तरों को कवर किया जा सके।

महात्मा गांधी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि चूंकि भारत गांवों में बसता है इसीलिए गांवों के उद्धार से ही भारत अपनी गरिमा और समृद्धि हासिल कर सकेगा। ग्रामीण विकास हेतु भारत ने गांवों को उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के उत्पादन के साधनों तक आसान पहुंच का रास्ता अपनाया है।

अंतरिम बजट 2019-20 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल

–जी. श्रीनिवास

अंतरिम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर बल देने के लिए कई महत्वपूर्ण एवं स्थायी उपाय किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि देश के गांवों तक, जिनमें सही अर्थों में वास्तविक भारत निवास करता है, भी विकास का उजियारा पहुंचे सके जिससे वे पूरे दमखम के साथ नए भारत के निर्माण में संलग्न हो जिससे लाखों–करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा सके।

यद्यपि हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र और उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस उद्योग जगत ही भारत की आर्थिक उन्नति के वाहक बने हुए हैं, तथापि यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अतीत में व पिछले कई दशकों से वर्तमान समय तक भी अपने देश की आधी से अधिक जनसंख्या भूमि और कृषि की बुनियाद पर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इस पर निर्भर वे किसान ही हैं जो ग्रामीण भारत की आधारशिला और अवलम्बन कहलाते हैं। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी किसानों के अनुकूल ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार किया है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक एवं वास्तविक क्षेत्रों में पहले स्थान पर कृषि, दूसरे स्थान पर विनिर्माण क्षेत्र और तीसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र रहा है।

सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के बाद ही उनका मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि किसानों की आय पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो सके।

पिछले कई वर्षों में प्रशासन द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाने के बाद भी वैश्विक बाजारों में कृषि उपजों के मूल्यों में वर्ष 2017–18 से गिरावट दर्ज की जा रही है और गैर–खाद्य क्षेत्र के अनुपातिक देश में खाद्य स्फीति में भी कमी आई है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि किसानों की आय में भी कमी हुई है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि निर्धन किसान परिवारों को कृषि कार्य में प्रयुक्त सामानों जैसे बीज, खाद, अन्य उपकरण और श्रमिकों को मजदूरी देने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औपचारिक रूप से आर्थिक आय का कोई ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा करने से उन्हें ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंसेंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरिम बजट 2019–20 में लघु एवं सीमांत किसानों तथा ऐसे किसान जिनकी कुल कृषि भूमि दो हेक्टेयर से कम है, को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और यह सहायता राशि सीधे उस किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किश्तों में जमा कराई जाएगी। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को लाभ होने का अनुमान है। यह कार्यक्रम दिसंबर 2018 से लागू हो गया है और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किश्त का भुगतान चालू वित्तवर्ष में ही कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर पूरे वर्ष के दौरान 75,000 करोड़ रुपये का व्यय आएगा तथा अंतरिम बजट में वित्तवर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वित्तवर्ष (2018–19) की अंतिम तिमाही के लिए 20,000 करोड़ रुपये

उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है।

पिछली पंचवर्षीय योजना में किसानों को दिए जाने वाले वहन योग्य ऋण के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान सहायता को दुगुना किया जा चुका है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अच्छी गुणवत्ता के बीज, सिंचाई योजना और उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए नीमलेपित यूरिया के अतिरिक्त 2018–19 में 11.68 लाख करोड़ रुपये का फसल ऋण उपलब्ध कराया गया है। चूंकि ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार सहायता के रूप में पशुपालन और मछलीपालन को भी द्वितीयक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त माना गया है। अतः सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है। गौवंश संसाधनों के दीर्घकालिक आनुवांशिक उन्नयन को बढ़ाने और गायों की गुणवत्ता और गौ–उत्पादों में वृद्धि के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। यह आयोग गौवंश संवर्धन और उनके लिए कल्याण योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक कानून बनाकर उनका पालन करवाने में भी सक्षम होगा।

पूरे विश्व के 6.3 प्रतिशत मत्स्यपालन एवं उसका दोहन करने के साथ ही भारत विश्व का दूसरा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और पिछले कुछ वर्षों में देश ने सात प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर भी प्राप्त की है। इसे देखते हुए अंतरिम बजट में अलग से एक मत्स्य विभाग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है ताकि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक–स्तर पर मत्स्य उत्पादन का कार्य कर रहे लगभग 1.45 करोड़ मछुआरों के लिए आजीविका के संसाधनों में विस्तार हेतु एक दीर्घकालिक एवं विषय–केंद्रित विकास योजना बनाई जा सके। साथ ही, पशुपालन और मत्स्यपालन कर रहे ऐसे किसानों को, जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेते हैं, दो प्रतिशत की ऋण छूट का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, समय पर अपने ऋण चुकता करने वाले किसान तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण छूट प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करने का उद्देश्य किसानों में मजबूत ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण गतिविधियों और कार्यबल को ऋण देने के अपने मुख्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें। इस संबंध में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें किसान एक सरलीकृत प्रपत्र पर अपना आवेदन कर सकेंगे ताकि उन्हें सरल एवं रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

विकट प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले ऐसे किसान, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से सहायता दी जाती है, को दो प्रतिशत की ऋण छूट और ऋण का समय पर भुगतान करने पर उनके ऋण की शेष अवधि के लिए पुनः निर्धारित ऋण पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भी ध्यान रखा गया है। इनमें सड़कों पर फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी उद्योग के श्रमिक, हथकरघा चलाने वाले, चर्मकार और ऐसे कई अन्य व्यवसाय हैं जो सामूहिक रूप से देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पचास प्रतिशत योगदान देते हैं। इन सभी को उनकी सुरक्षा के लिए एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। 15,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 'प्रधानमंत्री मानधन योजना' शुरू की गई है। यह एक पेंशन योजना है जो उन श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित आय के रूप में मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपने कामगार जीवनकाल में एक छोटी–सी वहन योग्य धनराशि अंशदान के रूप में देनी होगी। एक 29 वर्षीय श्रमिक को इस योजना का लाभ पाने के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 100 रुपये प्रति माह का अंशदान देना होगा। वहीं किसी 18 वर्षीय श्रमिक को इसके लिए 60 वर्ष का होने तक मात्र 55 रुपये प्रतिमाह का ही अंशदान देना होगा। इतनी ही राशि सरकार द्वारा उस श्रमिक के बैंक खाते में प्रति माह जमा कराई जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले पांच वर्ष में लगभग 10 करोड़ श्रमिक इस नई पेंशन योजना का लाभ उठाएंगे और यह अपने प्रकार की पूरे विश्व में चलाई जा रही अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी। अभी इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जब आवश्यकता होगी, उस समय अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जाएगा और यह योजना इसी वित्तवर्ष से लागू की जाएगी।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू समुदायों एवं जनजातियों तथा ऐसे जनजातीय समूहों, जिनका औपचारिक वर्गीकरण नहीं हो पाया है, के लिए नीति आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू समुदायों के लिए कल्याण और विकास योजनाएं चलाने हेतु सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के अधीन एक कल्याण विकास परिषद (बोर्ड) के गठन का भी प्रस्ताव है। परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले इन समुदायों तक अपनी पहुंच बनाने और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष कार्यनीतियां बनाकर लागू भी की जाएं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए विकल्प बहुत ही सीमित हैं, अंतरिम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण एवं स्थायी उपाय किए गए हैं ताकि देश के गांव, जिनमें सही अर्थों में वास्तविक भारत निवास करता है, तक भी विकास का उजियारा पहुंचे जिससे वे पूरे दमखम के साथ ऐसे नए भारत के निर्माण में संलग्न हो सकें जिससे लाखों–करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा सके।

(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : geeyes34@gmail.com

ग्रामीण विकास का आधार कृषि

–चंद्रभान यादव

ग्रामीण इलाकों में अभी भी रोजगार के संसाधन कम हैं। फिर भी कृषि से जुड़े रोजगार के जरिए ग्रामीण इलाकों के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के युवाओं हेतु कारोबार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास का आधार खेती है। यही वजह है कि जब खेती से उत्पादन बेहतरीन होता है तो देश व प्रदेश में खुशहाली आती है। भारत सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारी कृषि उत्पादन क्षमता का किस तरह से विकास किया जाए। इसी दृष्टिकोण की वजह से न सिर्फ अनाज उत्पादन बल्कि कृषि से जुड़े दूसरे उपक्रमों को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, भेड़–बकरी पालन, कुक्कुट पालन आदि के जरिए भी लोग स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हैं। भारत ग्रामों में निवास करता है। गांव ही विकास का आधार हैं। जब गांवों का विकास होगा तो देश में समृद्धि आएगी। ग्राम्य विकास की परिकल्पना को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा है। इसी परिकल्पना का हिस्सा ग्राम स्वच्छता रही है। पिछले दिनों चले अभियान का असर अब गांवों में साफ दिखता है। यदि इसी तरह से गांवों के विकास को गति मिले और ग्रामीण इलाके में रहने वालों को सुविधाएं मिलती रहें तो गांवों से पलायन थम जाएगा।

यदि हम भारत की स्थिति पर गौर करें तो यहां आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरी चकाचौंध में लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की संख्या ज्यादा है। सरकार का भी जोर है कि गांव से शहर की ओर पलायन रोका जाए। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। गांवों में बिजली पहुंचाने के साथ–साथ कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो करीब 90 फीसदी भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें वन क्षेत्र 6.57 करोड़ हेक्टेयर में हैं जबकि कृषि क्षेत्र 13.94 करोड़ हेक्टेयर है। फसलें 16.40 करोड़ हेक्टेयर में बोई जाती है। इसी तरह सिंचित

क्षेत्रफल करीब 23 प्रतिशत है। देश में करीब 7.05 करोड़ कृषि जोते हैं। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 80 प्रतिशत तथा अन्य फसलें 20 प्रतिशत होती हैं। इन सारी विशेषताओं की वजह से ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966–67 में हुई। इसको नाम दिया गया 'हरितक्रांति'। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरितक्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। कृषि और उससे जुड़ी क्रांतियों का असर यह रहा कि देश में अब भरपूर उत्पादन होने लगा है। यदि हम वर्ष 2017–18 के उत्पादन के आंकड़े देखें तो मानसून 2017 के दौरान लगभग सामान्य वर्षा एवं विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप मौजूदा वर्ष में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। कृषि मंत्रालय ने 2018–19 के दौरान 28.7 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा। रबी फसलों में गेहूं और अन्य का योगदान 14.2 करोड़ मीट्रिक टन रखा गया। चावल का उत्पादन 11.3 करोड़ मीट्रिक टन रहा। खाद्यान्न के साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाले दुग्ध उत्पादन में भी रिकार्ड कायम किया। भारत में दूध उत्पादन में 4.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्तवर्ष 2017–18 में दूध का उत्पादन 53.77 मिलियन टन पहुंच गया जोकि 2016–17 में 51.33 मिलियन टन था। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी ज्यादा रही। इसके साथ ही, अंडे के उत्पादन एवं बिक्री में भी तेजी देखी गई। साल 2017 में भारत में अंडे की ब्रिकी में 7.4 फीसदी तेजी दर्ज की गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन किया गया। इस तरह देखा जाए तो देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका समूचा असर हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

गांवों को सुदृढ़ करने के प्रयास

आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत के सुदृढ़ीकरण के लगातार प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण विकास तथा भारत के ग्रामों के आधुनिकीकरण के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए गए। यदि हम इन परियोजनाओं को देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया। इस परियोजना से गांवों के विकास को गति मिली। इसके बाद सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम 1960–61 ने खेती को 'संजीवनी' प्रदान की। उस वक्त अधिक से अधिक अन्न उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इसके बाद लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के जरिए गांवों को गतिशील किया गया। समग्र एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संकल्पना 1980 के जरिए भी ग्रामीण इलाकों में क्रंति लाने की कोशिश की गई। इसी तरह सहकारिता की शुरुआत हुई। राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने 1978 में हुए सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में सहकारी आंदोलन की भूमिका और सहकारी आंदोलन के लोकतंत्रीय स्वरूप तथा सहकारी संस्थाओं की व्यापार कुशलता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके तहत गांव–गांव सहकारी समितियां खोली गई। छोटे और सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के साधारण उपभोक्ताओं को सहकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज्यादा मौका देने का प्रयास किया गया। लेकिन धीरे–धीरे सहकारिता आंदोलन ने दम तोड़ दिया। 90 के दशक में सहकारिता के क्षेत्र में गिरावट शुरू हुई। दो हजार के दशक में तमाम सहकारी समितियां बंद हो गईं। अब उन्हें नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के जरिए किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मिट्टी की जांच की योजना अलग से है। इस तरह सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना तैयार की है। इसके तहत कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। इस समिति को किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े मुद्दों पर गौर करने और वर्ष 2022 तक सही अर्थों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रणनीति की सिफारिश करने का जिम्मा सौंपा गया है।

कृषि एवं सहयोगी कार्यों से आजीविका

भारत की कुल श्रमशक्ति का करीब 60 प्रतिशत भाग कृषि एवं सहयोगी कार्यों से आजीविका प्राप्त करता है। इसके बावजूद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 17 प्रतिशत है। निर्यात के मामले में भी इसका हिस्सा महज 10 प्रतिशत ही है। मनरेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण, 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना', 'पूरा', स्वरोजगार कार्यक्रम, आधारभूत संरचना निर्माण सहित ऐसी कई योजनाएं ग्रामीण विकास व रोजगार वृद्धि हेतु चलाई जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन योजनाओं के लाभकारी प्रभाव स्पष्ट दिखे हैं। ग्रामीण विकास एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की स्थिति में भी सुधार आया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मालदीव गणराज्य के मछलीपालन, समुद्री संसाधन एवं कृषि मंत्रालय के बीच समझौते किए गए हैं। 17 दिसंबर, 2018 को इस समझौते के तहत कृषि गणना, कृषिगत कारोबार, समन्वित कृषि प्रणाली, सिंचाई, उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य

प्रबंधन, अनुसंधान, स्थानीय कृषिगत कारोबारों के क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में उद्यमियों की जानकारी बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बार के बजट में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह सहायता तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारें गांव में पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान परिवारों का डाटाबेस तैयार करेंगे। इनमें नाम, आयु, लिंग, आधार नंबर आदि होगा। इसी तरह, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए भी ग्रामीण भारत को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजना के तहत हर सांसद को तीन गांवों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डेयरी के विकास से होगा ग्रामीण विकास

नाबार्ड ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत किसानों की औसत आय 8931 रुपये प्रति महीने होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार की ओर से कृषि के जरिए ग्रामीण विकास को गति देने के क्रम में पशुधन विकास को भी तवज्जो दिया गया है। पशुधन विकास से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित डेयरी उद्योग बढ़ेगा। डेयरी विकास की चालू योजनाओं को लागू करने के अलावा डेयरी बुनियादी ढांचे के सृजन की भी योजना बनाई जा रही है।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी) में वर्ष 2021–22 तक दूध का उत्पादन बढ़ाकर 254.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए 8.56 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की जरूरत है। इससे वर्ष 2021–22 तक दूध की उपलब्धता बढ़कर 515 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषण जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

भारत का दूध उत्पादक देशों में पहला स्थान है। वर्ष 2017–18 के दौरान 6.62 प्रतिशत वृद्धि के साथ 176.35 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। वर्ष 2017–18 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 375 ग्राम प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गई जो दुनिया के औसत 294.2 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी) में वर्ष 2021–22 तक दूध का उत्पादन बढ़ाकर 254.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए 8.56 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की जरूरत है। इससे वर्ष 2021–22 तक दूध की उपलब्धता बढ़कर 515 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषण जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। संगठित दूध रखरखाव, जो वर्तमान में 21 प्रतिशत है, उसे मार्च, 2022 तक बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सहकारी हिस्सेदारी, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

इन सुविधाओं से भी ग्रामीण विकास को मिल रही है गति

मनरेगा ने संवारी गांवों की तस्वीर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2006 में हुई। इस योजना ने गांवों में काम के रास्ते खोले तो दूसरी तरफ गांवों में विकास कार्य को भी गति मिली। वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के तहत 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। खास बात यह है कि मनरेगा के द्वारा कुल कामों के 51 प्रतिशत कामों में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 47 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया गया। निश्चित रूप से मनरेगा न केवल ग्रामीण रोजगार के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है बल्कि इसने ग्रामीणों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका भी प्रदान किया है। इसके तहत सरकार ने इस बार के बजट में 60,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपये दिए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2018–19 के लिए योजना का संशोधित अनुमान 61084.09 करोड़ रुपये था।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुविधाओं का विस्तार

ग्रामीण इलाकों में अभी भी रोजगार के संसाधन कम हैं। फिर भी कृषि से जुड़े रोजगार के जरिए ग्रामीण इलाकों के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के युवाओं हेतु कारोबार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत स्वयंसहायता समूह, खादी ग्रामाद्योग के रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के जरिए युवाओं को बड़े कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पोषित इस योजना में 18 साल तक की उम्र के युवा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 25 लाख रुपये तक की परियोजना शुरू की जा सकती है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना ने सुधारी गांवों की तस्वीर

प्रधानमंत्री ग्राणीण सड़क योजना के जरिए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली है। गांव–गांव सड़कें पहुंचने का फायदा यह हुआ कि अब हर खेत तक आसानी से ट्रैक्टर व अन्य मोटर वाहन पहुंच रहे हैं। इससे किसानों का श्रमिक श्रम मद में खर्च घटा है। विश्व बैंक के अध्ययन में बताया गया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पक्की सड़कों से होता है, उन क्षेत्रों में आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण

पर जब 10 लाख रुपये का निवेश होता है तब करीब 163 लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं।

भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना के अंतर्गत 7000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चलाई जा रही है। यह राष्ट्रीय आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इसके जरिए ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई इस योजना में 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 568 जिलों में और 6215 ब्लॉकों में मौजूद है जो युवाओं के जीवन को बदल रही है। इसी तरह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से देश में महिलाओं के स्व–सहायता मॉडल को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार 7 फीसदी की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण प्रदान करती है।

किसान हित को प्राथमिकता

छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है। इसके तहत छोटे एवं मझोले किसानों के लिए भी हर साल छह हजार रुपये तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसे दिसबंर 2018 से लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, जब किसान फायदे में होंगे तो उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी। इससे ग्रामीण सहकारिता के आधार को गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यह सुविधा दो हेक्टेयर ज़मीन तक वाले किसानों तक सीमित है। छोटे किसानों तक पहुंचने का यह निश्चित ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें बटाईदार किसानों को छोड़ दिया गया है। खेतिहर आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40 से 45 फीसदी है। गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि पशुधन विकास के साथ ही जैविक खाद और बॉयोगैस आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। डेयरी सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा भी बढ़ेगा। इसी तरह, मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास पर सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयास के माध्यम से इस क्षेत्र पर निर्भर लगभग 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का लक्ष्य है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियों में संलग्न किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक एक नई योजना की घोषणा भी की गई है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इसी तरह सभी 22 फसलों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत एमएसपी सुनिश्चित किया गया। पिछले पांच वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड और नीम कोटिड यूरिया कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व साबित हुआ। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए मनरेगा के लिए 2019–20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृषि, चिकित्सा एवं ग्रामीण विकास पर लगातार लेखन।)

ई–मेल : **chandrabhan0502@gmail.com**

सतत कृषि विकास का लक्ष्य

–सतीश सिंह

दुनिया भर में भारतीय नस्ल की गायों के दूध की गुणवत्ता और पोषण श्रेष्ठता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। भारतीय नस्ल की गायों के दूध की बड़ी मांग को देखते हुए भारत को अपने अनुसंधान कार्यों में सुधार करने एवं दूध का निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ढेरों अवसर हमारे पास हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें से 83.3 करोड़ लोग गांवों में रह रहे थे, जबकि 37.7 करोड़ लोग शहरों में। जनवरी, 2019 तक भारत की आबादी बढ़कर 137 करोड़ होने का अनुमान है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की लगभग 95 करोड़ आबादी गांवों में रह रही है, जो 69 प्रतिशत के आसपास है। अधिकतर आबादी आय के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अंतरिम बजट में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर जीवन देने की दिशा में कई सार्थक पहलें की गई हैं।

किसानों की समस्या को दूर करने एवं कृषि से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले कमजोर भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे तीन समान किश्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को इससे लाभ होने की उम्मीद है। वित्तवर्ष 2019–20 में इस मद में 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस 'प्रत्यक्ष आय सहायता' योजना को अन्य योजनाओं से बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि 6000 रुपये की वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत किसानों के खातों में नकद दी जाएगी। चूंकि, यह सहायता नकद हस्तांतरित की जाएगी इसलिए यह मूल्य संकट की स्थिति से अधिक सुरक्षित है।

देखा जाए तो यह योजना श्रैयत बंधुश् योजना से थोड़ा कमतर है, लेकिन इसे ओडिशा की 'कालिया' योजना के समकक्ष माना जा सकता है। 'कालिया' योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों को व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी लागत श्रैयत बंधुश् और 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' योजना से काफी कम है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' योजना को 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की पहली किस्त का भुगतान इसी वित्तवर्ष के दौरान किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान

में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना से जुड़ी चुनौतियों में से सबसे बड़ी लाभार्थियों की पहचान करना है, क्योंकि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बटाईदार या पट्टेदार एवं भूमिहीन मजदूरों को लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, भूमि रिकॉर्ड का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण कई राज्यों जैसे, झारखंड, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु आदि में अभी भी होना बाकी है।

अंतरराष्ट्रीय–स्तर पर सीधे तौर से वित्तीय सहायता देने की परंपरा

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार किसी भी देश ने बुनियादी आय को 'कामकाजी उम्र' के लोगों के लिए आय समर्थन का एक प्रमुख स्तंभ नहीं माना है। लेकिन कई देशों में कुल आबादी के एक छोटे से भाग पर इस संकल्पना को आजमाया गया है। अमेरिका और ईरान का नाम इस संदर्भ में लिया जा सकता है। अमेरिका का 'अलास्का स्थायी कोष' एक निवेश कोष है, जिसका निर्माण तेल राजस्व की मदद से किया गया है। वर्ष 1982 से इस निधि से अलास्का के प्रत्येक व्यक्ति को वार्षिक लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह का एक प्रयोग वर्ष 2011 में ईरान में किया गया था। इसके तहत औसत दर्जे की घरेलू आय के 29 प्रतिशत को हर माह जरुरतमंदों को हस्तांतरित किया गया। इसी तरह की योजना को लागू करने की घोषणा कनाडा, फिनलैंड और नीदरलैंड में भी की गई है। भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और जर्मनी में भी ऐसी योजना को लागू करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

प्रत्यक्ष आय सहायता योजना के तहत लागत संरचना

2015–16 की कृषि जनगणना के अनुसार	इकाई	कुल
परिचालन होल्डिंग की संख्या	करोड़	14.6
सीमांत किसान	प्रतिशत	68%
	करोड़	10.0
छोटे किसान	प्रतिशत	18%
	करोड़	2.6
सीमांत एवं छोटे किसान	प्रतिशत	86%
	करोड़	12.6
प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता	करोड़	75,520

स्रोतः बजट दस्तावेज

इस आलोक में एक धारणा यह है कि मुफ्त पैसा लोगों को आलसी बनाता है और लाभार्थी काम करने से परहेज करने लगते हैं अर्थात श्रम आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि नकद हस्तांतरण सशर्त या बिना शर्त घरों की आय बढ़ाता है और इससे श्रम आपूर्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ष 2015 में बनर्जी, हन्ना, क्रेन्डलर और ओल्केन ने 6 विकासशील देशों, होंडुरास, मोरक्को, मैक्सिको, फिलीपींस, इंडोनेशिया और निकारागुआ में श्रम की आपूर्ति पर सरकारी नकदी हस्तांतरण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया था और अपने अध्ययन में उन्होंने नकद हस्तांतरण के प्रावधान से पुरुषों या महिलाओं की श्रम आपूर्ति, चाहे वह घर में हो या बाहर, में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई थी।

भारत दुनिया का पहला देश होगा जो 12 करोड़ से अधिक किसानों को इस प्रकार की प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करने जा रहा है, जो दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी नकद हस्तांतरण योजना

तालिका–1 विविध स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र ('000 हेक्टेयर)

वर्ष	सिंचाई का क्षेत्र							शुद्ध सिंचित क्षेत्र
	नहर			टैंक	ट्यूबबेल	कुआं	दूसरे स्रोत	
	सरकारी	निजी	कुल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001–02	14993	209	15202	2196	23245	11952	4342	56936
2002–03	13867	206	14073	1811	25627	8727	3658	53897
2003–04	14251	206	14458	1916	26691	9693	4299	57057
2004–05	14553	214	14766	1734	25235	9956	7538	59229
2005–06	16490	227	16718	2083	26026	10044	5966	60837
2006–07	16802	224	17027	2078	26942	10698	5999	62744
2007–08	16531	217	16748	1973	28496	9864	6107	63189
2008–09 (पी)	16686	195	16881	1981	28366	10389	6020	63637
2009–10 (पी)	14786	188	14975	1585	28370	9991	7024	61945
2010–11 (पी)	15475	171	15646	1979	28543	10629	6869	63665
2011–12 (पी)	15837	172	16008	1917	29943	10594	7245	65707
2012–13 (पी)	15512	165	15677	1752	30543	10762	7552	66285
2013–14 (पी)	16115	163	16278	1841	31158	11311	7557	68116
2014–15 (पी)	16020	163	16182	1723	31606	11354	7519	68383

स्रोतः अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। यहां पी का अर्थ अनुमानित है।

को लागू करने वाले लाभार्थियों की औसत संख्या से 40,000 गुना अधिक है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि महज 7 यूएस डॉलर प्रति माह है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

कई देश हैं जिन्होंने इस तरह से जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इस तरह की योजना को चलाने से वैसे कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से असमानताएं बढ़ती हैं। हालांकि, इस योजना का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी मदद से वंचित तबकों का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नयन करने के साथ–साथ मौजूदा सब्सिडी या अन्य सरकारी योजनाओं को लागू करने के दौरान बिचौलिए, भ्रष्टाचार आदि पर भी लगाम लगेगी, जिससे सरकारी निधि के बंदरबांट की संभावना कम होगी।

अंतरिम बजट में यह भी घोषणा की गई है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सभी किसान, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से सहायता प्रदान की जाती है, को 2 प्रतिशत के ब्याज सबवेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, पुनर्गठित कर्ज की पूरी अवधि के लिए ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत किस्त एवं ब्याज का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। वर्तमान में ऐसे प्रभावित किसानों को फसली ऋण को पुनर्गठित करने पर पुनर्गठित ऋण के पहले वर्ष के लिए ही केवल 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का लाभ मिलता है।

पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र की तरह किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियों से जुड़े किसानों को भी 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अगर वे समय से कर्ज का पुनर्भुगतान करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का भी लाभ मिलेगा। यह पहल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाएगी और किसानों पर ब्याज का भार कम होगा, जिससे कृषि गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की बढ़ोतरी पर लगाम लगेगा।

भारत सरकार ने मत्स्य पालन के विकास के लिए और इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 6.3 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में औसतन 7 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र प्राथमिक–स्तर पर लगभग 1.45 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

गाय से जुड़े संसाधनों को बढ़ाने एवं उनके आनुवांशिक उन्नयन को सुनिश्चित करने व उन्हें बढ़ाने और गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। आयोग गायों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का काम देखेगा। बीते सालों से दुनिया भर में भारतीय नस्ल की गायों के दूध की गुणवत्ता और पोषण श्रेष्ठता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। भारतीय नस्ल की गायों के दूध की बड़ी मांग को देखते हुए भारत को अपने अनुसंधान कार्यों में सुधार करने एवं दूध का निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ढेरों अवसर हमारे पास हैं।

भविष्य में सरकार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में दूध देने पर भी विचार कर सकती है, जिससे बच्चों के पोषण में सुधार होगा और पूरे भारत में किसानों की आय बढ़ेगी। इस पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन यह किसानों को अतिरिक्त आय के रूप में लगभग 7,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगा। साथ ही, यह 10 करोड़ भारतीय बच्चों के समग्र स्वास्थ्य मानकों को भी बढ़ाएगा।

अंतरिम बजट में किसानों के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

- अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत वित्तवर्ष 2020 के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस मद से प्रत्येक किसान को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे।
- पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन दी जाएगी। अगर ऐसे किसान समय पर किस्त एवं ब्याज जमा करते हैं तो 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन भी उन्हें दिया जाएगा।
- हरितक्रांति के लिए 12,612 करोड़ रुपये, दुग्ध क्रांति के लिए 2,140 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए प्रावधान को 15.33 प्रतिशत बढ़ाकर 9,516 करोड़ रुपये किया गया है।
- ब्याज सब्सिडी को 20 प्रतिशत बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- फसल बीमा योजना के लिए किए गए प्रावधान में 7.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके उसे 14,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए किए गए प्रावधान में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके उसे 1101 करोड़ रुपये किया गया है।

सिंचाई

भारत में 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वित्तवर्ष 2014–15 में अनुमानित शुद्ध सिंचित भूमि 6.83 करोड़ हेक्टेयर होने का अनुमान है। फिलहाल, गांवों में सिंचाई के स्रोत नहर, ट्यूबवैल, कुआं, पईन, तालाब आदि हैं। तालिका–1 में शुद्ध सिंचित भूमि वर्षवार कितने रहे हैं, का आंकड़ा दिया गया है।

विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में केवल 35 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित थी। इस तरह, कृषि योग्य भूमि और सिंचित भूमि के बीच व्यापक अंतर है, जिसमें जल्द बेहतरी आने के आसार कम हैं।

कृषि कर्ज

कृषि में लागत ज्यादा और आय कम होने के कारण बैंकों की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार बढ़ाना नहीं है। बावजूद इसके, सरकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और ग्रामीण क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नवंबर, 2018 तक सभी क्षेत्रों को दिए गए कुल कर्ज 81,652 अरब रुपये के मुकाबले कृषि क्षेत्र को 10,648 अरब रुपये का कर्ज दिया गया। नवंबर, 2017 से नवंबर, 2018 के दौरान वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर कृषि क्षेत्र के कर्ज में 3.4 अरब रुपये की वृद्धि हुई, जबकि सभी क्षेत्रों में यह वृद्धि 5.6 अरब रुपये की थी। इसका एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में एनपीए के प्रतिशत में इजाफा होना हो सकता है।

इधर, वित्तवर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में कृषि और सहयोगी गतिविधियों में 3.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 2.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर में मुख्य योगदान संबद्ध गतिविधियों जैसे, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन का रहा। इन क्षेत्रों में 6.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। साफ है, संबद्ध क्षेत्रों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं।

तालिका–2 कुल आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान

व्यवसाय	कृषि हाउस होल्ड	गैर कृषि हाउस होल्ड	सभी हाउस होल्ड
खेती	35%	–	19%
पशुधन पालन	8%	–	4%
दिहाड़ी मजदूर	34%	54%	43%
अन्य स्रोत	23%	46%	34%
संयुक्त रूप से सभी स्रोत	100%	100%	100%

स्रोतः नाबार्ड की अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट

(लेखक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक अनुसंधान विभाग, मुंबई हैं।)
ई–मेल : satish5249@gmail.com

आर्थिक सुरक्षा के लिए वित्तीय समावेशन

–मंजुला वाधवा

दुनिया आज वित्तीय सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के दायरे में लाने की ओर अग्रसर है। वित्तीय सेवाओं तक बुनियादी पहुंच के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष असमानता समाप्त करने और सभी ग्राहकों द्वारा उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में आगे की राह हमें दिखाई दे रही है। इसके लिए वित्तीय सेवाओं को और अधिक डिजिटल, लचीला तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाना होगा। वक्त की जरूरत है कि नवसृजन किया जाए और नई तरह के समाधान खोजे जाएं।

वित्तीय समावेशन से हमारा तात्पर्य है वित्तीय सेवाओं को उपयोग करने वालों तक पहुंचाना यानी उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराना। इन सेवाओं में शामिल हैं: बचत सुविधा, कर्ज की सुविधा, बीमा, भुगतान और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के जरिए धनप्रेषण सुविधा। यहां पर जो वित्तीय सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनमें जोखिम प्रबंधन या जोखिम कम करना और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं, भारी खर्च करवाने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल स्थितियों व आपदाओं समेत आर्थिक झटकों से सुरक्षा भी शामिल हैं। व्यक्तियों और परिवारों को इस तरह की आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले इस तरह के आर्थिक समावेशन का यह पक्ष ग्रामीण भारत में खासतौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके बाद यहां यह बात अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है कि ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जाए। नाबार्ड के हाल के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2016–17 में ग्रामीण जनसंख्या का समग्र परिदृश्य, लोगों की आजीविका और उनके वित्तीय समावेशन के संदर्भ में तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है।

हालांकि वित्तीय समावेशन के प्रयास 1904 में देश में सहकारी आंदोलन से ही शुरू हो गए थे। 1969 में भारत के प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इसे बढ़ावा मिला और 2008 में रिज़र्व बैंक द्वारा डॉ. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन समिति के गठन से इसमें और तेजी आई। तब से देश में सभी राज्य–स्तरीय बैंकर कमेटियों की बैठकों की कार्यसूची में इसे शामिल किया जाता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक कई पहलों के माध्यम से जैसे बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के निर्धारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, स्वयंसहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार के प्रयासों में मदद दे रहा है। इसके अलावा, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश का शीर्षस्थ

अंतरिम बजट और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता

अंतरिम बजट 2019 में अर्थव्यवस्था के अल्पावधि और मध्यावधि लक्ष्यों का सन् 2030 तक की दीर्घकालीन परिकल्पना के साथ संतुलन बनाते हुए हमारे समाज के सबसे निम्न–स्तर के उन लोगों के वित्तीय समावेशन की प्रबल आवश्यकता का ध्यान रखा गया है जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं और जिन तक पहुंचने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वित्त वर्ष 2018 में 'वित्तीय समावेशन' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के जरिए समाज के सबसे निचले स्तर के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने की पहल का मार्ग प्रशस्त हुआ था। एक तरफ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को सशक्त बनाकर 'स्वरोजगार' और 'उद्यमिता' की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर डिजिटाइजेशन और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब जबकि अंतरिम बजट प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं तो यह उम्मीद की जा सकती है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे।

बजट में किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों के लिए अनेक प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में बचत के अलावा तीन सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं–लघु ऋण, पेंशन और बीमा। इसी संदर्भ में दो हेक्टेयर तक ज़मीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) कार्यक्रम के तहत की गई है जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। किसानों को यह राशि तीन किस्तों में देने का प्रस्ताव है और इससे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी।

पीएम–किसान की अवधारणा से वित्तीय समावेशन के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि इसके अंतर्गत भू–अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के अंतरण के लिए बैंक खातों से जोड़ना होगा। चूंकि 12 करोड़ किसानों को जन–धन कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, इसलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह इस कार्यक्रम से सरकारी बैंक भी मजबूत होंगे जिन्हें हाल ही में पूंजी उपलब्ध कराई गई है। पीएम–किसान कार्यक्रम न सिर्फ बेहद गरीब किसान परिवारों को अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराएगा, बल्कि उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा, खासतौर पर फसल कटाई से पहले की आवश्यकताओं की। इससे किसानों के लिए सम्मानजनक तरीके से आजीविका कमाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

इसके अलावा 15,000 रुपये मासिक से कम आमदनी वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बड़ी पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले कामगार इस पेंशन योजना के सदस्य बनने पर 60 साल के हो जाने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पा सकेंगे। इस योजना को 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना' नाम दिया गया है। उम्मीद है कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। उन्हें हर महीने सिर्फ 55–100 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा और सरकार अपनी ओर से इतनी ही राशि उनके पेंशन खाते में जमा कराएगी जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी। अन्य क्षेत्रों के लोगों की पेंशन योजनाओं के लिए भी 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। दिसंबर 2018 से संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना नियमों पर अमल किया जा रहा है और सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

'डिजिटल इंडिया' मिशन को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट में अगले पांच वर्षों में एक लाख गांवों के डिजिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। इससे जनधन–आधार– मोबाइल (जेएएम) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की उपयोगिता की पुष्टि हो गई है और इसीलिए इस पर खास जोर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे गरीब लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा और सहायता राशि उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी जिससे बिचौलियों का भी अंत होगा।

बैंक नाबार्ड भी इस दिशा में सभी प्रयास कर रहा है।

इतना ही नहीं, भारत सरकार और इंडियन बैंकस एसोसिएशन ने 2011 के प्रारंभ में संयुक्त रूप से 'स्वाभिमान' नाम की एक अभिनव पहल की थी जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना था। इसके अंतर्गत मार्च 2012 के अंत तक 2000 से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाना था। इस पहल से यह उम्मीद की गई थी कि अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित 72,000 से अधिक गांवों में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि वे गांवों में लोगों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले खाते खोलने में मदद करेंगे ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन प्रेषण की सुविधा भी उन्हें मिल सके।

सबको बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए की गई पहल प्रधानमंत्री जन–धन योजना का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के स्तर को बढ़ाना तथा ग्रामीण लोगों को ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 2014 में कुछ कदम उठाए जिनमें देश के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त संस्था को वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की सिद्धांत रूप में दी गई मंजूरी और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति शामिल हैं। इसके अलावा, छोटे कारोबार और कम आमदनी वाले परिवारों को समग्र वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में विचार करने हेतु समिति की सिफारिशों के आधार पर छोटे बैंकों और पेमेंट बैंकों को विभेदित बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए।

देश में उदारीकरण की शुरुआत के समय यानी 1991 के बाद बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने से झिझकते थे। उनके मन में यह धारणा थी कि छोटे और गरीब कर्जदारों को ऋण देना बैंकिंग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और बैंकों के हित में भी नहीं है, खासतौर पर बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा के युग में ऐसा करना सही नहीं है। इसी सोच ने सूक्ष्मवित्त संस्थाओं को बढ़ावा दिया

अंतरिम बजट 2019-20 — सबसे अधिक जरूरतमंद/वंचितों तक पहुंचना

- नीति आयोग के तहत एक समिति बनाई जाएगी जिसके जरिए डिनोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश समुदायों, जिन्हें अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, की पहचान का कार्य पूरा किया जाएगा।
- डिनोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध–खानाबदोश समुदायों के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

जिनकी सोच इस बारे में बैंकों की सोच से अलग थी। उनके अनुसार गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकती थीं क्योंकि उनमें कारोबार करने की क्षमता विद्यमान थी। यही वह दौर था जब 1992 में नाबार्ड ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंचने को ऋण प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रणाली के तहत स्वयंसहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत महज 500 स्वयंसहायता समूहों से परीक्षण के तौर पर की गई। आज यह कार्यक्रम दुनिया का शायद सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम बन गया है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ग्रामीण और अर्ध–शहरी इलाकों में 87 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूह कार्य कर रहे हैं और इस तरह दूरदराज के इलाकों समेत ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में शानदार योगदान कर रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझते हुए आज भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनजीओ, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और इस क्षेत्र के अनेक इसी तरह के प्रतिभागियों द्वारा तमाम प्रयास

तालिका–1

क्रम सं.	बैंकिंग सेवाएं जिनका लाभ उठाया गया (सर्वेक्षण से एक साल पहले की अवधि में) प्रतिशत में	लाभ उठाने वाले सभी परिवार	लाभ उठाने वाले कृषक परिवारों का प्रतिशत	लाभ उठाने वाले गैर–कृषक परिवारों का प्रतिशत
1	संस्था को हुई बचत	48.5	52.8	44.6
2	निवेश की सूचना देने वाले परिवार	10.4	8.7	9.5
3	संस्था से ऋण लेने वाले परिवार	40.2	43.5	37.2
4	ऐसे परिवार जिनके कम से कम एक सदस्य ने कोई बीमा कराया है	25	26	25
5	ऐसे परिवार जिनके कम से कम एक सदस्य को पेंशन मिल रही है	18.9	20.1	17.7
6	ऐसे परिवार जिनकी वित्तीय साक्षरता का स्तर ऊंचा है	11.3	11.3	11.2

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	बैंक	खातों की संख्या			रूपे कार्डों की संख्या	आधार से जुड़े	खातों में शेष राशि	शून्य बैलेंस खाते
		ग्रामीण	शहरी	कुल				
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.74	9.43	21.17	16.75	12.54	54,507.02	25.8%
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.86	0.61	4.47	3.36	2.26	12976.71	25.08%
3	निजी बैंक	0.52	0.35	0.35	0.82	0.39	2,587.07	33.92%
	कुल	16.11	10.4	10.4	20.93	15.19	70,070.79 –करोड़ (10 अरब डालर)	24.61%

स्रोत : भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका– भारतीय रिजर्व बैंक

किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम ने वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के अपने लक्ष्य को हासिल करने के साथ–साथ ग्रामीण भारत की महिलाओं को कोई न कोई उत्पादक कृषि या गैर–कृषि गतिविधि संचालित करने में सक्षम बनाया है और इस तरह वे न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनी हैं बल्कि उन्होंने अपनी आजीविका खुद अर्जित करना भी शुरू कर दिया है और समाज की उत्पादक सदस्य भी बन गई हैं।

स्वयंसहायता समूह की ही तरह संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी) योजना एक अन्य दिलचस्प संस्थागत खोज है जो 2009 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों/बटाईदारों, मौखिक पट्टेधारकों को उत्पादक कार्यों के लिए बैंकिंग प्रणाली से बिना ज़मानत के कर्ज उपलब्ध कराना है। इसमें समूह के सदस्यों को सामूहिक रूप से वचन देना होता है। इस योजना के तहत करीब 11,000 संयुक्त दायित्व समूहों (जेएलजी) को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाया गया है।

आज के युग की कड़ी स्पर्धा, लागत संबंधी बाधाओं और घटते मुनाफे को ध्यान में रखते हुए सभी जगह बैंकों की शाखाएं खोलना कोई उपयुक्त विचार नहीं है। इस समस्या का कोई किफायती समाधान खोजने और बैंकों की पहुंच का दायरा बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2006 में खान आयोग की सिफारिश पर बैंकों को दो तरह के बिचौलिए यानी मध्यस्थ रखने की अनुमति प्रदान की। ये थे–बिजनेस कॉरेस्पांडेंट (BCS) और बिजनेस फैसिलिटेटर्स (BFS)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इन एजेंटों की सेवाएं लेकर देशभर में, खासतौर पर दूरदराज इलाकों में वित्तीय और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई। मार्च 2017 के अंत तक करीब 28 करोड़ बीसीबीडीएज द्वारा 285 अरब रुपये की राशि इस चैनल के माध्यम से दी जा चुकी थी।

इसके बाद वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन–धन योजना आई जिसमें समूचे देश में दो चरणों में सभी परिवारों के समग्र वित्तीय समावेशन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई। आज की तारीख में 24.61 लाख जन–धन खाते खोले जा चुके हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जन–धन दर्शक नाम का एक मोबाइल एप संयुक्त रूप से विकसित किया है जिससे आम लोगों को वित्तीय सेवाओं के संपर्क केंद्र का पता लगाने में मदद मिलती है। इस एप पर करीब पांच लाख से अधिक वित्तीय संपर्क केंद्रों (बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्ट ऑफिस आदि) को अंकित किया जा चुका है। इसके अलावा 1.35 लाख बैंक मित्रों को 1 दिसंबर, 2018 तक इसमें लिया जा चुका था।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है जिसका उद्देश्य सरकारी हकदारी के संवितरण को आसान बनाना है। इस तरह की हकदारी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग–जनों के लिए केंद्र या राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना, 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' के सहयोग से 'आधार' का उपयोग और इसका सत्यापन।

पेमेंट बैंक एक ऐसा मॉडल है जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। यह प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कुछ ही सप्ताह बाद सामने आई। इसके अंतर्गत बुनियादी तौर पर वित्तीय समावेशन अभियान को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके लिए टेक्नोलॉजी संचालित सुरक्षित माहौल में छोटे कारोबारियों, निम्न आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिकों को भुगतान और वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में एम–बैंकिंग और डाक विभाग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एम–कॉमर्स बैंक खाते में एक स्थान पर पैसा जमा करके ग्रामीण क्षेत्रों समेत किसी भी अन्य स्थान पर एटीएम से या बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के पॉइंट आफ सेल टर्मिनल से पैसा निकालने की सुविधा पेमेंट बैंक की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके जरिए वित्तीय समावेशन को आसान बनाया गया है। असल में इसमें पड़ोस की छोटी–सी सुविधाजनक दुकान, फलवाले की दुकान आदि बैंक शाखा की तरह कार्य कर सकेंगे और इससे बैंकों की सुविधा से वंचित ग्रामीण लोगों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाया जा सकेगा। जहां तक भारतीय डाक विभाग का सवाल है, देशभर में 1,54,000 डाकघर हैं जिनमें से 90 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं। भारतीय डाक के ये डाकघर और जनता के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाला पोस्टमैन आपका बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर बन सकता है और अभियान को

सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निसंदेह वाजिब लागत पर सघन प्रसार सिर्फ टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है। इसके लिए प्रत्येक बैंक खाते को रूपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन बनाया जा रहा है; खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई–केवाईसी का उपयोग किया जा रहा है; विभिन्न प्रणालियों को संचालन योग्य बनाने के लिए आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करने, वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने में मदद, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में सहायता (एटीएम सुविधा वाली मोबाइल वैन), सभी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस प्लेटफार्म पर लाकर ग्रामीण लोगों को किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, सिस्टम से उत्पन्न एमआईएस के जरिए ऑनलाइन निगरानी और कॉल सेंटर व टॉल फ्री नंबर की सुविधा आदि शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने वित्तीय टेक्नोलॉजी की प्रमुख कंपनियों जैसे एफआईएनओ, इको (EKO), ए लिटिल वर्ल्ड, नोकिया, इंटेग्रा आदि को भी इस अभियान के साथ जोड़ा है।

वित्तीय क्षेत्र में बीते वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, उनके मद्देनजर रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशकों की एक कमेटी गठित की जो लीड (अग्रणी) बैंक योजना के प्रभावी होने का अध्ययन करेगी। राज्य–स्तरीय बैंकरों की समितियों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए नीति और संचालन संबंधी मुद्दों को अलग–अलग करने का फैसला किया गया है जिसके अंतर्गत संचालन संबंधी मुद्दों पर विशेष उपसमिति चर्चा करेगी और स्टीयरिंग उप–समिति अपने प्राथमिक एजेंडा की मदों को देखेगी। राज्य–स्तरीय बैंकिंग कमेटियों (एसएलबीसी) के वेबसाइटों के प्रबंधन का मानकीकृत तरीका भी विकसित किया गया है जिसमें संबंधित कोर बैंकिंग साल्यूशन्स (सीबीएस) द्वारा आंकड़ों को सीधा एकत्र करना, बैंकिंग कॉरस्पांडेंट्स (BCS) का संचालन, डिजिटल मोड में भुगतान, कनेक्टिविटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), वित्तीय साक्षरता अभियान, जमीन संबंधी अभिलेखों का डिजिटाइजेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार/ऋणधारण क्षमता को भी शामिल किया गया है। वित्तवर्ष 2018–19 से लघु वित्त बैंकों को विभिन्न मंचों जैसे एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी और बीएलबीसी की बैठकों में शामिल होना होगा। जून 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 और निजी क्षेत्र के एक बैंक ने वित्तीय समावेशन के बारे में नियोजित और संरचनात्मक दृष्टिकोण अपना लिया था। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करें और सभी मानदंडों पर उपलब्धियों को समाहित करें।

देश में वित्तीय समावेशन के स्तर के विस्तार में व्यवस्थित और चिरस्थायी तरीके से तेजी लाने के लिए वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय

रणनीति तैयार की जा रही है ताकि इस तेजी को बरकरार रखा जा सके। विश्व बैंक के ताजा ग्लोबल फाइंडेक्स डाटा से यह बात साबित हो जाती है कि भारत ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुधारने में बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। आज 80 प्रतिशत से अधिक वयस्क लोगों के पास खाते हैं। साथ ही, वित्तीय पहुंच के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष अंतर भी 20 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं और अधिक महिलाओं को पंजीकृत किया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन अब भी संभावनाशील औजार बना हुआ है। नेक्स्ट जेनेरेशन यानी अगली पीढ़ी की भुगतान प्रणालियों का विकास जरूरी है जिसमें उपभोक्ता फ्रेंडली इंटरफेस स्थानीय भाषा में उपलब्ध हों। दक्ष बिजनेस कारस्पांडेंट बनाना और उन्हें अनेक कारोबार संचालित करने में सक्षम बनाना एक और बड़ी चुनौती है। स्वयंसहायता समूह/जेएलजी योजनाओं के चिरस्थायित्व के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

आगे का रास्ता

दुनिया आज वित्तीय सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के दायरे में लाने की ओर अग्रसर है। वित्तीय सेवाओं तक बुनियादी पहुंच के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष असमानता समाप्त करने और सभी ग्राहकों द्वारा उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में आगे की राह हमें दिखाई दे रही है। इसके लिए वित्तीय सेवाओं को और अधिक डिजिटल, लचीला तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाना होगा। वक्त की जरूरत है कि नवसृजन किया जाए और नई तरह के समाधान खोजे जाएं।

(लेखिका नाबार्ड (चंडीगढ़) में सहायक महाप्रबंधक हैं।)
ई–मेल : manjula.jaipur@gmail.com

ग्रामीण युवा सशक्तीकरण के लिए पहल

–प्रभाकर साहू और अभिरूप भुनिया

भारत के 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में से आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हैं इसलिए गांवों में रहने वाले युवाओं को आगे बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रम सघन होने के कारण एमएसएमई में रोजगार पैदा करने की विशाल संभावनाएं हैं। सरकार ने छोटे और मझोले उद्यमों को मदद पहुंचाने के लिए कई खास कदम उठाए हैं जिनसे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सरकारें विकास के जिन सबसे महत्वपूर्ण नतीजों के लिए प्रयास करती हैं उनमें लोगों को रोजगार मुहैया कराना तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करना और आमदनी में सुधार लाना शामिल है। इन संवाहकों में कृषि उत्पादकता और आय में सुधार या कपड़ा निर्यात संवर्धन जैसे उद्देश्यों को लेकर क्षेत्र विशेष के लिए नीतियां शामिल हैं। इनमें वित्तीय समावेशन में सुधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण इत्यादि के लिए ली जाने वाली पर्यावरण अनुकूल व्यापक विकास पहलें भी शामिल हैं। उद्यमिता या स्वरोजगार योजनाएं मसलन स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा इत्यादि भी इन संवाहकों में हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना है। अपनी 1.35 अरब आबादी के साथ भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है (संयुक्त राष्ट्र, 2018)। सबसे ज्यादा नौजवानों वाले भारत में कामकाजी उम्र यानी 15 से 64 वर्ष के बीच के लोगों की तादाद 87.70 करोड़ है। अगले दो दशकों में चीन समेत अन्य सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निर्भरता दर ऊंची होगी मगर भारत में कामकाजी उम्र की आबादी के बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार यदि जनसांख्यिकीय लाभों का समुचित उपयोग किया जाए तो भारत अपनी सालाना विकास दर में दो प्रतिशत तक का सुधार कर सकता है (साहू, 2018)[1]।

हालांकि जनसांख्यिकीय लाभों के जरिए विकास की संभावनाएं श्रमबल को कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर ले जाने पर निर्भर करती हैं। बाजार और उत्पादन के बदलते ढांचे का फायदा उठाने के वास्ते बड़ी संख्या में युवा श्रमबल में कौशल विकास वक्त की जरूरत है। भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए श्रम बल को सही प्रशिक्षण और कौशल से लैस करे तो वह अन्य देशों के लिए उनके आउटसोर्स कार्यों और निर्माण का केंद्र बन सकता है। इस सिलसिले में कौशल भारत कार्यक्रम एक स्वागत योग्य पहल है और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत 2022 तक 40 करोड़ नागरिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015, कौशल ऋण योजना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं।

सरकार ने ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ

महत्वपूर्ण पहलें की हैं। भारत के 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में से आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हैं इसलिए गांवों में रहने वाले युवाओं को आगे बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

विभिन्न पहलें

रोजगार सृजन और कौशल विकास के जरिए ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की संभावना वाली विभिन्न पहलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैंस एजेंसी): इस बैंक की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म हिस्से को वित्तीय सहायता देने और उसके पुनर्वित्तपोषण के मकसद से की गई है। इसका उद्देश्य लगभग 5.8 करोड़ गैर–कॉरपोरेट छोटे व्यवसायों को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), बैंकों इत्यादि के जरिए धन मुहैया कराना है। मुद्रा लिमिटेड (शुरुआत में एक एनबीएफसी था)। लेकिन सरकार ने अब इसे मुद्रा[2] स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया[2] में तब्दील कर दिया है। यह सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है। यह वैसे संस्थानों और व्यक्तियों के लिए वित्त व्यवस्था करता है जो सिडबी के दायरे में नहीं आते। यह देश में छोटे व्यवसायों को कर्ज देने वाली एनबीएफसी को संरक्षण प्रदान करने के अलावा भारतीय युवाओं की रोजगार और स्वरोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भी काम करता है। उसके इन कार्यों से शिक्षित और कुशल ग्रामीण युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा वे पहली पीढ़ी का उद्यमी बनने का सपना देख सकेंगे। इसके अलावा, मौजूदा छोटे व्यवसाय भी इसकी सहायता से अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ा सकेंगे।

अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत फरवरी 2018 तक 10.38 करोड़ लाभार्थियों को 4.6 लाख करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया जा चुका है। महिलाओं के वित्तीय समावेशन का संपूर्ण मानव विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के तहत वित्त वर्ष 2018–19 में कुल तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं में व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है। विस्तार और संभावित असर के लिहाज से यह देश के ग्रामीण युवाओं पर व्यापक प्रभाव डालने वाली योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का मकसद बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग के लिए उपयोगी कौशल का प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहायता मिलेगी। इसमें पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता देने (आरपीएल) का भी प्रावधान है जिसके तहत पहले से प्रज्ञता या कौशल रखने वाले व्यक्तियों को आकलन के बाद प्रमाणन दिया जाता है। अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल और रोजगार मेले तथा नियोजन सहायता इस योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल हैं।

इस योजना के तहत भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3044 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई है। अब तक 19.58 लाख युवाओं तक इस योजना को पहुंचाया जा चुका है। कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के आंकड़ों के अनुसार पीएमकेवीवाई 2016–20 के अल्पकालिक प्रशिक्षण के तहत 30 नवंबर, 2018 तक 19.58 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया। इन उम्मीदवारों में से 9.99 लाख को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला। इस तरह समूचे देश में चल रही पीएमकेवीवाई का नियोजन का आंकड़ा 54.9 प्रतिशत का है।

पीएमकेवीवाई में नियोजन क्षमता बढ़ाने तथा बेरोजगारी और अल्परोजगारी घटाने के अलावा उत्पादकता और आय में इजाफा लाने की भी क्षमता है। यह योजना मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया के जरिए स्वरोजगार अभियान में काफी मददगार होगी।

स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप[3] के अनुकूल परिवेश तैयार करने के मकसद से की गई सरकारी पहल है। यह अभियान एक कार्ययोजना पर केंद्रित है जिसके तीन स्तंभ हैं: सरलीकरण और मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और रियायतें तथा उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी एवं उद्भवन।

कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 75 से ज्यादा स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहलकदमी में भागीदारी करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी एक ऐसा परिवेश बनाने में योगदान करने के लिए कदम उठाएगा जो स्टार्टअप व्यवसायों के विकास के अनुकूल हो।

योजना के तहत एक स्टार्टअप इंडिया केंद्र (संपूर्ण भारत) बनाया गया है। यह भारत में स्टार्टअप फाउंडेशनों के लिए एकल संपर्क बिंदु का काम करेगा। यह उद्यमियों को ज्ञान की साझेदारी और वित्तीय सहायता हासिल करने में मदद करेगा। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसे कम खर्चों पर पेटेंट जांच की फास्ट ट्रैक प्रणाली के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रणाली जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) को स्टार्टअप फाउंडेशनों द्वारा अंगीकार किए जाने को बढ़ावा देगी।

स्टार्टअप के लिए नीतियों और रियायतों में कर में छूट, पेटेंट मंजूरी और स्व–प्रमाणन सुविधा शामिल है। सरकार इन ठोस प्रयासों से भारत के 484 जिलों में 14000 स्टार्टअप की पहचान करने में सक्षम हुई है। स्टार्टअप में से 55 प्रतिशत टीयर 1 शहरों, 27 प्रतिशत टीयर 2 शहरों और 18 प्रतिशत टीयर 3 शहरों में स्थित हैं। लगभग 45 प्रतिशत स्टार्टअप की सहसंस्थापक महिलाएं हैं। अब तक 801 अर्जियों को 80 प्रतिशत पेटेंट छूट मंजूर की जा चुकी है। इसके अलावा, 1226 अर्जियों को 50 प्रतिशत ट्रेडमार्क छूट दी जा चुकी है। अब तक 1,16,749 शिकायतों का सफलतापूर्वक

समाधान किया जा चुका है। सरकार ने दस गुना वृद्धि की संभावना को देखते हुए एफएफएस के तहत 23.3 करोड़ डॉलर मंजूर किए हैं और स्टार्टअप के लिए उपलब्ध संचित निधि को 2.2 अरब डॉलर तक बढ़ाए जाने की उम्मीद रखती है। कुल 375 स्टार्टअप को व्यवसाय और वित्तीय सलाह, कर और कानूनी सहायता, हितधारक परिचय इत्यादि जैसे क्षेत्रों में टीम द्वारा परामर्श और सुगमता प्रदान की गई है। प्रति स्टार्टअप 11 रोजगार के औसत से 11,727 स्टार्टअप ने 1,30,424 रोजगार सृजित किए हैं।

मेक इन इंडियाः मेक इन इंडिया खासतौर से एमएसएमई योजना नहीं होने के बावजूद औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख पहलकदमी है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए इसका काफी महत्व है। मेक इन इंडिया का कुल प्रभाव अभी अनिश्चित है। लेकिन इसमें कृषि श्रम को विनिर्माण क्षेत्र की ओर ले जाने की क्षमता है। ऐसा एमएसएमई समेत श्रम की गहनता वाले विनिर्माण में निवेश के जरिए किया जा सकता है जिसका देश के जीडीपी में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान है। यह योजना मुद्रा और पीएमकेवीवाई के साथ मिल कर रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। वास्तविक निवेश व्यवसाय के परिवेश के अनुरूप होगा। इस परिवेश को व्यवसाय की सुगमता सूचकांक जैसे पैमानों पर मापा जा सकता है। लेकिन यह योजना पश्चानुबंधन तथा ग्रामीण भारत के सूक्ष्म उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ कर सप्लाई चेन में सुधार के जरिए रोजगार में वृद्धि कर सकती है।

तिरुपति में टीसीएल की विनिर्माण इकाई और स्मार्टफोन निर्माता विवो के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए संयंत्र जैसे निवेशों का रोजगार सृजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश की मेगा टेक्सटाइल इकाइयों जैसी सामूहिक विकास पहलों में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन की क्षमता ज्यादा है। श्रम पर आधारित होने के कारण इन इकाइयों में कौशल की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है।

अधिक खपत वाली उपभोक्ता वस्तुओं और बिजली के उपकरणों समेत दीर्घकालिक इस्तेमाल वाले सामान के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत निवेश संवर्धन की काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं भी अच्छी हैं। पीएमकेवीवाई के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले युवा बड़ी औद्योगिक इकाइयों में रोजगारों से लाभान्वित हो सकते हैं।

मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम– यह कानून शुरुआत में 200 जिलों में लागू किया गया। बाद में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में भी धीरे–धीरे इसका विस्तार किया गया।[4] यह युवाओं समेत ग्रामवासियों को दिनों की एक न्यूनतम संख्या तक रोजगार मुहैया कराने के लिए चलाए जा रहे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई)ः यह योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस पहलकदमी का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इसमें धन को एक डिजिटल वाउचर के जरिए योग्य आवेदक के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है। यह योजना ग्रामीण भारत को एक ऐसे संसाधन में पुनर्समायोजित करती है जो वैश्विक मैनुफैक्चरिंग उद्योग की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

सेल्फ एम्प्लायमेंट एंड टैलेंट यूटीलाइजेशन (सेतु)ः यह एक तकनीकी–वित्तीय उद्भवन और सरलीकरण कार्यक्रम है। यह खासतौर पर प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में स्टार्टअप व्यवसाय के सभी पहलुओं तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में सहायता पहुंचाता है।

बागवानी में स्वरोजगारः इस कार्यक्रम में बागवानी फार्म खोलने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। यह कार्यक्रम बागवानी उत्पादन बढ़ाने के अलावा पोषण सुरक्षा सुधारने और कृषक परिवारों और अन्य की आय बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ है। इसने बागवानी विकास के लिए चल रहे और नियोजित अनेक कार्यक्रमों के बीच समायोजन और तालमेल स्थापित किया है। यह कार्यक्रम विशेष तौर से बेरोजगार युवाओं समेत कुशल और अकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने में मददगार साबित हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनएलआरएम)/ आजीविकाः इसे ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के तौर पर बनाया गया है। गरीबी–रेखा से नीचे के ग्रामीण युवाओं में बुनियादी कौशल विकास के लिए एनएलआरएम के तहत ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान खोले गए हैं। ये संस्थान ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्यम खोलने और वेतन वाला रोजगार पाने में सक्षम बनाते हैं। ये ग्रामीण गरीब युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार मुहैया कराते हैं। यह मिशन ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहलों में से एक है। आजीविका कौशल के कुछ चरण हैं– अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना, गरीब ग्रामीण युवाओं की पहचान, दिलचस्पी रखने वाले ग्रामीण युवाओं को संगठित करना, युवाओं और उनके अभिभावकों को सलाह देना, रुझान के आधार पर चयन और ग्रामीण युवाओं की नियोजन क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग से जुड़े कौशल का ज्ञान प्रदान करना।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाः ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराती है। इस तरह यह खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने और पोषण का स्तर बढ़ाने का काम करती है।

स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)ः इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में सहायता देने के लिए की है। इस योजना के लिए धन केंद्र सरकार देती है और

इसके तहत हाट शुरू करने और ऋण से संबंधित मसलों पर सूचना और दिशा–निर्देश मुहैया कराए जाते हैं।

छोटे और मझोले उद्यमों के लिए कदम

ज्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता के कारण एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत में कुल 633.9 लाख एमएसएमई हैं। इनमें से 630 लाख सूक्ष्म, 3.3 लाख छोटी और 0.05 लाख मझोली इकाइयां हैं (भारत सरकार, 2017–18)। कुल मूल्य संवर्द्धन में एमएसएमई का योगदान 32 प्रतिशत है और इनमें 11.1 करोड़ कामगार लगे हुए हैं। भारतीय एमएसएमई में से एक तिहाई विनिर्माण की गतिविधियों में लगे हैं और इस क्षेत्र के उत्पादन में उनका लगभग 50 प्रतिशत योगदान है। इस तरह वे मेक इन इंडिया की सफलता में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। श्रम सघन होने के कारण एमएसएमई में रोजगार पैदा करने की विशाल संभावनाएं हैं। सरकार ने छोटे और मझोले उद्यमों को मदद पहुंचाने के लिए कई खास कदम उठाए हैं जिनसे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए उठाए गए विशेष कदम इस प्रकार हैं–

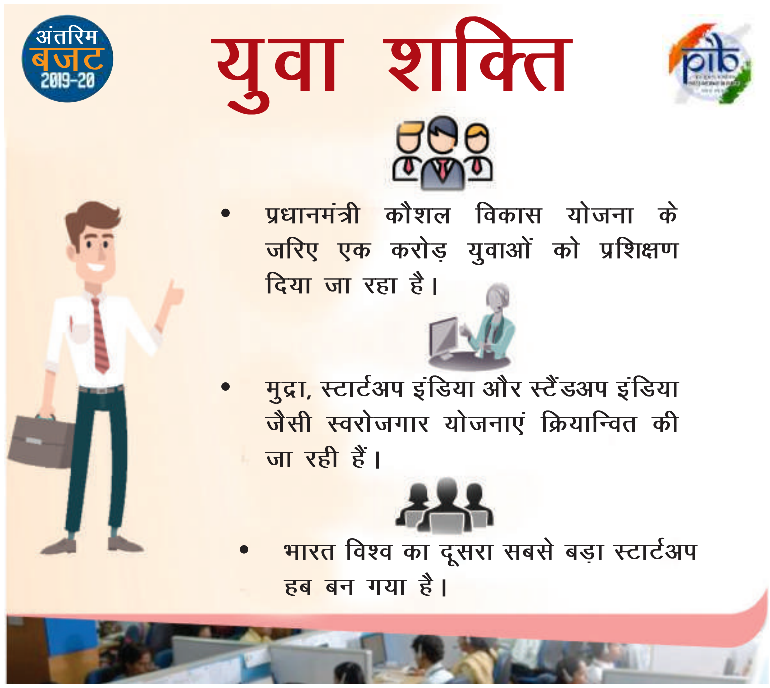

- एमएसएमई क्षेत्र के लिए धन में बढ़ोतरी की गई है। इस क्षेत्र के लिए 2017–18 के बजट में 6481.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसे 2018–19 में बढ़ाते हुए 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया। छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 3.24 अरब डॉलर की शुरुआती रकम से मुद्रा बैंक शुरू किया गया। वर्ष 2018 के बजट में इसके लिए 46.87 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया गया। छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण देने वाले एनबीएफसी को संरक्षण में इजाफा किया गया है। छोटे और मझोले उद्यमों को नवाचार और नवाचारों के संरक्षण के लिए शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर से कम कारोबार वाली छोटी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर घटा कर 29 प्रतिशत किया गया। सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम मंत्रालय ने अक्टूबर, 2017 को एमएसएमई समाधान के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। इसका मकसद छोटे और मझोले उद्यमों को भुगतान में देरी के मामलों की निगरानी करना और एमएसएमई विकास कानून, 2006 के प्रावधानों को लागू करना है। वेब–आधारित एमएसएमई डाटा बैंक शुरू होने के बाद भारत में एमएसएमई की अनिवार्य ऑनलाइन संगणना मौजूदा समय में चल रही है। कपड़ा मंत्रालय ने जनवरी, 2016 में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना शुरू की। 0.039 अरब अमेरिकी डॉलर तक कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटा कर 25 प्रतिशत किया गया है। 'जीरो डिफेक्ट एंड जीरो एफेक्ट' (जेड) विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जेड प्रमाणन योजना में एमएसएमई के लिए वित्तीय समर्थन शुरू किया गया है। 2018 के बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया गया। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के मकसद से गैर–परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सौर चरखा मिशन का प्रस्ताव किया गया है। कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर जैसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में तीन साल तक 12 प्रतिशत अंशदान सरकार की ओर से किया जा रहा है।

1 साहू, पी, ''इकोनॉमीः हाऊ टू मूव फ्रॉम सिक्स्थ टू थर्ड बाई 2030?'' डेकन हेराल्ड, 16 जुलाई, 2018

2 बैंक का गठन 20,000 करोड़ रुपये के संचित कोष और 3000 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के साथ किया गया है। एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान के साथ सरकार ने मुद्रा बैंक शिशु ऋण योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपये, मुद्रा बैंक किशोर ऋण योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपये और मुद्रा बैंक तरुण ऋण योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया है।

3 भारत में स्टार्टअप का मतलब वैसा उद्यम है जो सात साल से पहले खोला गया हो और जिसका सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपये (39 लाख अमेरिकी डॉलर) से कम है। (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2017)।

4 https://www.india.gov.in/policies-and-acts-ministry-rural-developement

(इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी), दिल्ली में प्रोफेसर हैं तथा अभिरूप भुनियां आईपीई ग्लोबल दिल्ली में वरिष्ठ विश्लेषक हैं।)

ई–मेल : pravakarfirst@gmail.com

महिला और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण

–डॉ. संतोष जैन पासी एवं आकांक्षा जैन

अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण–स्तर के लिए उत्तम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, समय पर उचित जांच और इन सबसे बढ़कर सबके लिए समुचित पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः 'गुड हैल्थ एवं न्यूट्रिशन फॉर ऑल' का नारा केवल एक नारा ही न रहकर एक सर्वव्यापी मिशन बनना चाहिए ताकि सार्वजनिक पोषण एवं स्वास्थ्य उच्चतम छोर तक पहुंच सकें और लोगों को खुशहाल, शांतिपूर्ण और सार्थक जिंदगी जीने की ओर अग्रसर कर सकें।

अच्छा स्वास्थ्य और पोषण व्यक्तिगत विकास पर ही नहीं अपितु समस्त मानव–जाति की स्वास्थ्य एवं उत्पादन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालने के साथ–साथ देश की उन्नति में भी विशेष योगदान देता है। इसके विपरीत, किसी भी आयु/अवस्था में होने वाले कुपोषण से व्यक्ति के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान और बाल्यावस्था के पहले दो वर्षों (1000 दिन) में होने वाले कुपोषण से शिशु एवं बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास तथा प्रतिरक्षण सामर्थ्यताओं पर स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। अतः महिलाओं का उचित स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण अति आवश्यक है खासतौर पर गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव–उपरांत/धात्री माताओं का।

कुपोषण की जटिल समस्या को दूर करने और पीढ़ी–दर–पीढ़ी चल रहे कुपोषण–दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार (विशेषकर लौह, फोलिक एसिड, कैल्शियम और दूसरे पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन) देना अति आवश्यक है। हमें चाहिए कि पुरुषों की तुलना में बच्चों और महिलाओं के पोषण को अधिक प्राथमिकता दें।

राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाने और इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा के साथ–साथ अच्छे खानपान, पर्याप्त पोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उचित ज्ञान देना भी अत्यंत जरूरी है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) के अनुसार कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु के करीबन 35.7 प्रतिशत बच्चों में शारीरिक वजन की कमी, 37.4 प्रतिशत में कद–काठी की कमी और अत्यधिक कुपोषण के कारण 21.0 प्रतिशत में वजन एवं कद–काठी दोनों की कमी के साथ ही 22.1 प्रतिशत महिलाओं में भी कम वजन की समस्या पाई गई है। इनके अतिरिक्त एनीमिया की समस्या लगभग 48.4 प्रतिशत बच्चों में (आयु 6 महीने से 59 माह, हीमोग्लोबिन स्तरः 11 ग्राम/डैसिलीटर) और 53 प्रतिशत महिलाओं (आयु 15–49 वर्ष, हीमोग्लोबिन स्तरः 10 ग्राम/डैसिलीटर) में पाई गई है। यही नहीं, गर्भावस्था के दौरान आयरन–फोलिक एसिड

अनुपूरक वितरण के बावजूद, 50.3 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं भी रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। बालिकाओं का किशोरावस्था में मां बनना दोहरे बोझ के कारण (खुद की वृद्धि एवं विकास के साथ–साथ भ्रूण या फिर शिशु का विकास/वृद्धि) मौजूदा कुपोषण को और भी बढ़ा देता है। अतः लड़कियों की शादी सही आयु में ही की जाए ताकि वे गर्भावस्था तथा मातृत्व का बोझ भली–भांति वहन कर सकें।

इसके विपरीत, बच्चों, किशोरों व वयस्कों में अत्यधिक वजन अथवा मोटापे की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो इनके आगे के जीवनकाल में गैर–संक्रामक रोगों (हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, सांस की बीमारियां इत्यादि) की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है।

हमारे देश में कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझने के लिए कई सकरात्मक प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं जिनमें से निम्न कार्यक्रम व योजनाएं विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने की ओर अग्रसर हैं:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** एक उपयुक्त व किफायती स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से जनसमूह का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धि की परिकल्पना करता है।
- **भारत नवजात कार्ययोजना** (INAP, सितंबर 2014) नवजात व अजन्मे शिशुओं की मृत्यु–दर में कमी लाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वर्तमान आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल लगभग 7.47 लाख नवजात शिशु मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अनुमान है कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद 2030 तक ये संख्या 2.28 लाख/वर्ष से कम हो जाएगी।
- **मिशन इन्द्रधनुष** के तहत बच्चों (0–2 वर्ष) को सात प्रकार की बीमारियों – डिप्थीरिया, कालीखांसी, टेटनस, क्षयरोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा इत्यादि से बचाव के लिए टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का टेटनस से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है।
- **राष्ट्रीय आरोग्य निधि** (RAN) योजना के अंतर्गत भारत सरकार के 13 अस्पतालों/संस्थानों में गरीबी–रेखा से नीचे वाले रोगियों के उपचार हेतु 50 लाख रुपये तक के रिवॉल्विंग फंड स्थापित किए गए हैं (जो एम्स, नई दिल्ली के संदर्भ में 90 लाख रुपये तक है)। किसी भी जरूरतमंद रोगी के उपचार के लिए अधिक से अधिक 2 लाख रुपये तक का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के मुख्यतः तीन घटक हैं–

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख मद	2019–20 (करोड़ रु.)	2018–19 (करोड़ रु.)
कुल आवंटित व्यय	27,84,200	24,42,213
कृषि व कृषि संबंधित गतिविधियां	1,49,981	63,836
खाद्य–सब्सिडी	1,84,220	1,69,323
स्वास्थ्य	63,538	54,667
शिक्षा	93,848	85,010
सामाजिक कल्याण	49,337	44,220

राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके अंतर्गत गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही जीवनशैली संबंधित बीमारियों (दिल, गुर्दे, जिगर, आदि के रोग) से पीड़ितों का सरकारी अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले संस्थानों में उचित इलाज का प्रावधान है।

स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी फंड– गरीबी–रेखा से नीचे वाले कैंसर पीड़ितों को क्षेत्रीय, तृतीयक और राज्य–स्तरीय कैंसर केंद्रों पर उचित उपचार एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनका सरकारी अस्पतालों/सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले संस्थानों में उचित इलाज मुहैया कराना।

- राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत भी देश में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य है– वर्ष 2020 तक बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं विशेषकर गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और रक्तहीनता के साथ–साथ नवजात शिशुओं के जन्म–भार में कमी तथा 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को कम करना।
- राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति प्रत्येक बच्चे, किशोरी और महिला के इष्टतम पोषण–स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है विशेष रूप से सबसे कमजोर समुदायों में। जीवन–चक्र में होने वाले कुपोषण को रोकना और जितना जल्दी हो सके, कम करना अति आवश्यक है, खासकर जीवन के पहले कुछ वर्षों में। यह प्रतिबद्धता इस तथ्य को भी दोहराती है कि जीवनकाल के पहले कुछ वर्ष उत्तम शारीरिक व मानसिक विकास, अनुभूति और आजीवन सीखने की क्षमता की ठोस नींव हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाएं व अभियान हैं– आंगनवाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना, पोषण अभियान, किशोरी योजना एवं बाल संरक्षण योजना। बुनियादी आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत 6 वर्ष से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पूरक पोषण, टीकाकरण रोग–प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच सेवाएं, रेफरल सेवाएं, स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इनके अतिरिक्त, प्रजनन

आयु वर्ग की अन्य महिलाओं (15–45 वर्ष) को भी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

- सबके लिए खाद्य स्वच्छता/सुरक्षा और पौष्टिक आहार अति आवश्यक है विशेषतौर पर भोजन के माध्यम से होने वाली बीमारियां, अल्प–पोषण, सूक्ष्म–पोषक तत्वों की कमी और मोटापे एवं गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में। अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारतीयों को सही खानपान पर ध्यान देने हेतु 'ईट–राइट–इंडिया' आंदोलन शुरू किया गया है जिसे तीन प्रमुख कार्यक्रमों– आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान के साथ जोड़ा गया है। 'स्वच्छ भारत यात्रा' एक अखिल भारतीय साइकिल–रैली है जो 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन का एक प्रमुख अंग है और देश के कोने–कोने में सही खानपान के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने में सहायक हुई।
- महात्मा गांधी जी की 'डांडी मार्च' और 'नमक सत्याग्रह' से प्रेरित यह स्वच्छ भारत यात्रा– 'डांडी से हांडी' तक 16 अक्टूबर, 2018 (विश्व खाद्य दिवस) से शुरू होकर 27 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में समाप्त हुई।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं पोषण–संबंधी कुछ अन्य कार्यक्रम हैंः

» मध्याह्न भोजन योजना
» राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
» लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
» बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (बालिकाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना एवं उन्हें सशक्त बनाना)
» जननी सुरक्षा योजना
» जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम
» प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
» राष्ट्रीय आयुष मिशन
» राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम
» मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम
» प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य
» बालिका समृद्धि योजनाः किशोरियों की शादी कम उम्र में न हो, इसलिए अधिक से अधिक बालिकाओं का स्कूल में नामांकन करवाना और शिक्षा प्रणाली में उचित सुधार लाना।
» गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश।

जनसमूह विशेषकर महिलाओं और बच्चों में विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की कमी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अनीमिया मुक्त भारत अभियान जोर–शोर से अनीमिया की समस्या को 2022 तक काफी हद्द तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न संचारी रोगों के समाधान के लिए कार्यक्रम

» संशोधित राष्ट्रीय टी.बी नियंत्रण कार्यक्रम
» राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
» राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
» विभिन्न गैर–संचारी रोगों के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए कार्यक्रम
» कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
» अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
» फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
» राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
» पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सामुदायिक खाद्य और पोषण विस्तार इकाइयां

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से लक्ष्य–2, लक्ष्य–3 और लक्ष्य–6 खासकर इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हैं। एसडीजी लक्ष्य–2 के मुताबिक सभी देशों को चाहिए कि भुखमरी को खत्म करने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा तथा सबके लिए बेहतर पोषण मुहैया कराएं। एसडीजी लक्ष्य–3 के मुताबिक सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनकी अच्छी देखभाल को बढ़ावा दें। एसडीजी लक्ष्य–6 का मुख्य उद्देश्य है सबके लिए स्वच्छ वातावरण, पीने–योग्य पानी की उपलब्धता एवं संधारणीय प्रबंध सुनिश्चित करना। एसडीजी लक्ष्यों को मद्देनजर

रखते हुए हमें विभिन्न प्रयासों को बढ़ावा देने, कार्य पद्धतियों को बेहतर बनाने और आवश्यकतानुसार नई नीतियां व कार्यक्रम लागू करने चाहिए ताकि हम विश्व द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकें।

विज़न इंडिया 2030: पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण

भारत सरकार द्वारा घोषित दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों में से एक आयाम है 'स्वस्थ भारत'। सरकार ऐसे भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर है जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी। वर्ष 2030 तक स्वस्थ भारत बनाने हेतु बेहतर देखभाल एवं व्यापक आरोग्य–प्रणाली के साथ–साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता महत्वपूर्ण घटक होंगे। अतः जन–जन के लिए कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने एवं विभिन्न सेवाओं की सुगम उपलब्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दूसरा आयाम है **खाद्य गुणवत्ता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना** जिसके लिए खाद्य और कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारने की ओर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाना अपितु विश्व के दूसरे देशों की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को खाद्यान्न निर्यात में सक्षम बनाना भी एक लक्ष्य है।

2019–20 का अंतरिम बजट स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की ओर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 3.4 प्रतिशत पर रखते हुए वर्ष 2018–19 की तुलना में आगामी वर्ष के व्यय में 3,26,965 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है।

कार्यक्रम / योजना	2019–20 (करोड़)	2018–19 (करोड़)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32,251	30,634
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	4,000	3,825
परिवार कल्याण योजनाएं	700	770
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	6,556	2,000
आईसीडीएस (पोषण अभियान व अन्य योजनाएं)	27,584	23,088
राष्ट्रीय मिड–डे–मील कार्यक्रम (एमडीएमएस)	11,000	10,500
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एफसीआई को खाद्य सब्सिडी	1,51,000	1,38,123
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2,327	1,801
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	60,000	55,000

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में महिला विकास से हटकर महिला प्रेरित विकास पर बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' (स्वच्छ और स्वस्थ भारत) के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, इस बजट में काफी हद तक महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। अतः सरकार ने बच्चों में बढ़ते कुपोषण के खिलाफ प्रतिबद्धता दर्शाते हुए मातृ स्वास्थ्य एवं बाल संरक्षण सेवाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है।

बजट 2019–20 में पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों मिशन/योजनाओं के संदर्भ में आवंटन के कुछ मुख्य अंश–

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- आईसीडीएस (ICDS)– पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन व अन्य योजनाएं) के लिए आवंटित राशि 23,088 करोड़ (2018–19) से बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये (2019–20) कर दी गई है। इस बुनियादी योजना के तहत, गर्भवती माताओं की देखरेख के लिए हाल ही में शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (अक्टूबर, 2017) के लिए आवंटन राशि 1,200 करोड़ रुपये (2018–19) से बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये (2019–20) कर दी गई है।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के लिए निर्धारित आवंटन पिछले साल जितना ही (280 करोड़ रुपये) रखा गया है ।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्तवर्ष से 4,000 करोड़ रुपये अधिक हैं।
- ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन हेतु 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन आवंटित किए गए हैं।

अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण–स्तर के लिए उत्तम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, समय पर उचित जांच और इन सबसे बढ़कर 'सबके लिए समुचित पोषण' अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः 'गुड हैल्थ एवं न्यूट्रिशन फॉर ऑल' का नारा केवल एक नारा ही न रहकर एक सर्वव्यापी मिशन बनना चाहिए ताकि सार्वजनिक पोषण एवं स्वास्थ्य उच्चतम छोर तक पहुंच सके और लोगों को खुशहाल, शांतिपूर्ण और सार्थक जिंदगी जीने की ओर अग्रसर कर सके।

आइए, प्रण लें कि हम सब एकजुट होकर भारत को न केवल समृद्ध देश अपितु एक स्वस्थ, खुशहाल एवं कुशल नागरिकों का राष्ट्र बनाएंगे और 2022 के दृष्टिकोण 'कुपोषण मुक्त भारत' को सार्थक करेंगे।

(डॉ. संतोष जैन पासी, स्वास्थ्य एवं पोषण विशेषज्ञ है और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक रह चुकी हैं; आकांक्षा जैन, सहायक प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण), दिल्ली विश्वविद्यालय हैं।)

ई–मेल : sjpassi@gmail.com

अंतरिम बजट 2019-20

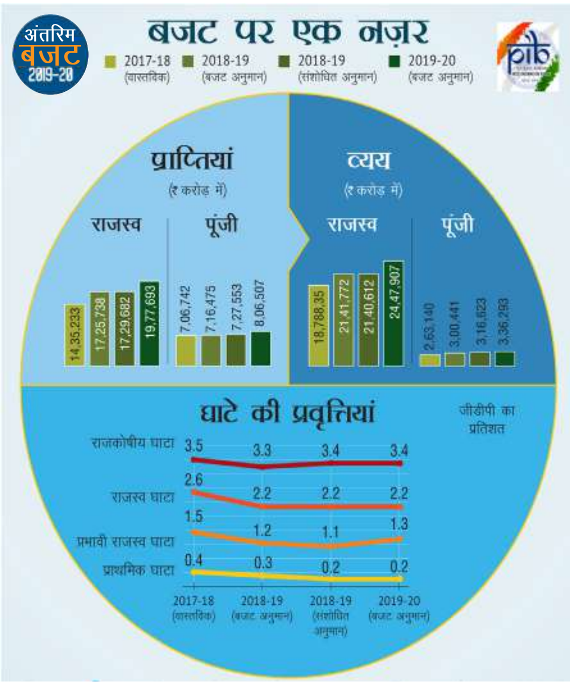

प्रमुख आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18 वास्तविक	2018-19 बजट अनुमान	2018-19 संशोधित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	14,35,233	17,25,738	17,29,682	19,77,693
पूंजी प्राप्तियां	7,06,742	7,16,475	7,27,553	8,06,507
कुल प्राप्तियां	21,41,975	24,42,213	24,57,235	27,84,200
कुल व्यय	21,41,975	24,42,213	24,57,235	27,84,200
राजस्व घाटा	4,43,602	4,16,034	4,10,930	4,70,214
प्रभावी राजस्व घाटा	2,52,568	2,20,689	2,10,630	2,69,474
राजकोषीय घाटा	5,91,064	6,24,276	6,34,398	7,03,999
प्राथमिक घाटा	62,112	48,481	46,828	38,938

एक नज़र में

अंतरिम बजट 2019-20

केंद्र सरकार का व्यय

2019-20 के लिए बजट अनुमान

(₹ करोड़ में)

पेंशन	1,74,300	ब्याज	6,65,061
रक्षा	3,05,296	आईटी और दूरसंचार	21,549
प्रमुख सब्सिडी	2,96,684	योजना एवं सांख्यिकी	5,594
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,49,981	ग्रामीण विकास	1,38,962
वाणिज्य और उद्योग	27,660	वैज्ञानिक विभाग	26,237
पूर्वोत्तर का विकास	3,000	सामाजिक कल्याण	49,337
शिक्षा	93,848	कर प्रशासन	1,17,285
ऊर्जा	44,101	राज्यों को अंतरण	1,66,883
विदेश मामले	16,062	परिवहन	1,56,187
वित्त	19,812	संघ राज्य क्षेत्र	15,042
स्वास्थ्य	63,538	शहरी विकास	48,032
गृह	1,03,927	अन्य	75,822
		कुल जोड़	27,84,200

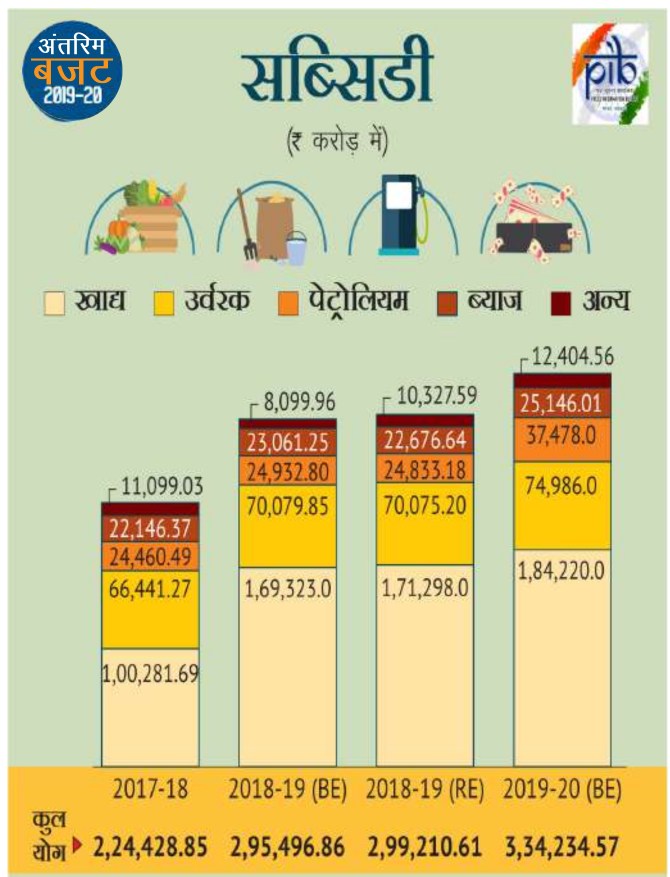

NEXT IAS

BIG LEARNINGS MADE EASY

AN INITIATIVE OF MADE EASY GROUP • UNDER THE GUIDANCE OF Mr. B. SINGH (CMD, MADE EASY GROUP)

GS FOUNDATION COURSE-2020

- Approx. 700 teaching hours by team of experienced faculty with Comprehensive coverage of both Prelims and Mains syllabus.
- 17 GS Books with the Best EVER coverage of entire GS Syllabus of Prelims and Mains.
- Weekly Classroom Tests for both objective and subjective questions
- Weekly Newspaper analysis and Current Affairs classes
- Essay programme classes and workshops
- Online learning portal – Current Affairs channel
- GS Prelims Test Series - 30 tests and CSAT Test Series - 10 tests
- Mains Test Series - 12 tests (8 Sectional and 4 Full Length)
- Interview Guidance Programme
- Additional dedicated sessions for Prelims and Main examination support.

17 Books COMPLETE MODULES of GENERAL STUDIES (Pre-cum-Main) for Civil Services Examination available at retail stores as well as major online shopping portals.

POSTAL STUDY COURSE-2020

- 17 GS Books with the best EVER coverage of entire GS Syllabus of Prelims and Mains.
- E-Subscription of 12 issues of Monthly Current Affairs Magazine of NEXT IAS.
- GS Prelims Test Series for CSE 2020 - 30 Tests.
- CSAT Test Series for CSE 2020 – 10 Tests
- 3 Concept Books and 3 Workbooks for CSAT.
- **Fees** 12,000 only (*including* GST)

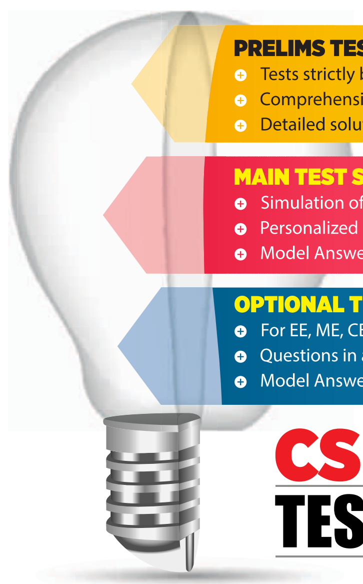

PRELIMS TEST SERIES
- Tests strictly based on UPSC Pattern.
- Comprehensive coverage of entire syllabus.
- Detailed solutions and discussion by experts.

MAIN TEST SERIES
- Simulation of UPSC examination environment.
- Personalized one-one feedback for improvement.
- Model Answers and Test discussion by experts.

OPTIONAL TEST SERIES
- For EE, ME, CE, Geography and Philosophy.
- Questions in accordance with UPSC pattern
- Model Answers and Test discussion by experts.

CSE-2019 TEST SERIES

NEXT IAS Centres
Old Rajinder Nagar Centre (Delhi)
Saket Centre (Delhi)

info@nextias.com | 8800338066 | www.nextias.com

/NEXTIASMADEEASY/ @NEXTIASMADEEASY @nextias /c/NEXTIAS /Next-IAS-1

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

–शशि रानी देव

स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए तभी भारत में समतामूलक और गुणवत्ता से युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कायम की जा सकेगी। क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है और यह कार्य देश के सभी क्षेत्रों के समान सहयोग से किया जाना चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में स्वास्थ्य देखभाल की निवारक और संवर्धक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सबकी पहुंच के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया था। नीति में देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नया रूप देने और सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया था ताकि सभी को मुफ्त में दवाएं, नैदानिक सुविधाएं और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। एनएचपी–2017 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और सबके लिए किफायती तथा गुणवत्ता–संपन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की परिकल्पना के बारे में भी बताया गया था। नीति में देशवासियों में प्रजनन स्वास्थ्य; मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य, अक्सर फैलने वाले संचारी रोगों, गैर–संचारी बीमारियों और व्यवसाय से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया था। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर जनता का भरोसा मजबूत करने की बात भी कही गई थी। सरकार ने सभी संभावित पक्षों को शामिल करके विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने का इरादा भी जाहिर किया था।

इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की एक ऐसी अटूट व्यवस्था बनाई जाए जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की उनके जीवन के हर चरण में (जैसे किशोरावस्था, प्रसव–पूर्व और प्रसव के बाद की अवधि में और बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल में) समन्वित रूप से रक्षा हो। ऐसी योजना बनाई गई है कि स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी स्तरों की चिकित्सा सुविधाएं शामिल हों ताकि आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम., ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. और आयुष्मान मित्र के माध्यम से परिवार, समुदाय और ग्राम–स्तर पर ग्रामीण जनता तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा, 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से सबको स्वास्थ्य बीमा के जरिए इलाज की सुविधाओं के दायरे को सार्वभौमिक बनाने और अंतरंग और बहिरंग चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की भी योजना है।

महत्वपूर्ण पहल और उपाय

आयुष्मान भारत : आयुष्मान भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में दो प्रमुख पहल की गई हैं। इनमें से पहली है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलना और दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएम)। इस कदम का लक्ष्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक–स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर समग्र रूप से विचार करना है और बीमारियों की रोकथाम के साथ–साथ स्वास्थ्य संवर्धन को भी इसमें शामिल करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की बुनियाद के रूप में देखा गया है। यह उम्मीद की गई है कि इसके अंतर्गत खोले जाने वाले 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा को आम लोगों के घर के निकट तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, ये समग्र स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करेंगे जिनमें गैर–संचारी रोगों का इलाज, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना और नैदानिक सेवाएं भी प्रदान करेंगे। भारत सरकार के इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 2018–19 के बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नीति में यह भी कहा गया है कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इन केंद्रों की जिम्मेदारी लेने को आगे आएंगी और जलकल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाली संस्थाएं भी इन्हें अपनाएंगी।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत दूसरा फ्लैगशिप कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (करीब 50 करोड़ लोगों) को दायरे में लिया जाएगा और प्रत्येक परिवार को अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक–स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिसके लिए लाभार्थियों से कोई शुल्क या भर्ती कराने का खर्च भी नहीं देना होगा। एनएचपीएम के तहत अस्पताल में भर्ती करके द्वितीयक और तृतीयक–स्तर के इलाज का खर्च उठाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे रोगियों की मदद के लिए 'आयुष्मान मित्र' नियुक्त करने की योजना है जो पैनल में शामिल सार्वजनिक और निजी अस्पतालों तथा लाभार्थियों के बीच तालमेल कायम करेंगे।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशनः 2017–18 में तीन साल के लिए 9046.17 करोड़ रुपये के बजट से राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एनएनएम) की स्थापना भी की गई है। देश में आम लोगों की खुराक में पौष्टिकता के स्तर को बड़े सशक्त तरीके से बढ़ाने के लिए एनएनएम में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उनके बीच मजबूत तालमेल की भी जांच की जाती है। इसके लिए सूचना और संचार तकनीक पर आधारित रियल टाइम मॉनीटरिंग प्रणाली की मदद ली जाती है, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं, सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जाता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रजिस्टरों को समाप्त किया जाता है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का कद मापने, सामाजिक ऑडिट, पौष्टिक आहार संसाधन केंद्र स्थापित करने, जन–आंदोलन के जरिए आम लोगों को पौष्टिक आहार संबंधी विभिन्न अभियानों से जोड़ने जैसी गतिविधियों की भी शुरुआत की गई है। एनएनएम में बच्चों की बढ़वार रुकने, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) और जन्म के समय कम वजन के मामलों में क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत सालाना की दर से कमी लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। हालांकि शारीरिक बढ़वार रुकने के मामलों में कमी लाने का न्यूनतम लक्ष्य 2 प्रतिशत का है मगर मिशन के तहत इस तरह के मामलों को 38.4 प्रतिशत के (एनएफएचएस–4) स्तर से 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है (मिशन 25, 2022 तक)। देश के सभी जिलों और राज्यों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा यानी 2017–18 तक

स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का व्यापक विस्तार

- **विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' शुरू किया गया।**
- **10 लाख मरीजों तक इसका लाभ अब तक पहुंच चुका है ।**
- **प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों के जरिए दवाएं वाजिब कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।**
- **आवश्यक दवाओं, हृदय संबंधी स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतें कम की गई हैं।**
- **21 एम्स कार्य कर रहे हैं/स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें से 14 एम्स 2014 के बाद घोषित किए गए है।**
  22 वां एम्स हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।

315, 2018–19 तक 235 और 2019–20 तक बाकी सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

पोषण अभियान : पोषण अभियान स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं पर सघन तरीके से फोकस करते हुए कई तरह की पहल का एक पैकेज है। इसके अंतर्गत शिशु के जन्म लेने के बाद उसके जीवन के पहले 1,000 दिनों पर ध्यान दिया जाता है जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास का बेहद अहम दौर होता है। इसके दो घटक हैं–संस्था–आधारित देखभाल और घर पर ही देखभाल। इसमें शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक माने जाने वाले जीवन के पहले एक हजार दिनों के दौरान तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित किया जाता है। इस तरह सभी प्रमुख कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, किशोरावस्था देखभाल, प्रसव–पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल, पूरक आहार, माता द्वारा शिशु को स्तनपान की सलाह, टीकाकरण और बच्चों की बढ़वार की निगरानी इसके दायरे में आ जाते हैं। (पोषण अभियान के तहत सरकार ने बच्चों की शारीरिक बढ़वार रुकने, अल्प–पोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) और जन्म के समय शिशु के कम वजन के मामलों में कमी लाने के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य रखा है। मिशन सन् 2022 तक बच्चों की शारीरिक बढ़वार रुकने के मामलों को मौजूदा 38.4 प्रतिशत (एनएफएचएस–4) के स्तर से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने के लिए भी प्रयत्नशील है। माता और बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की तमाम सेवाएं उपलब्ध कराने के इस अभियान में लोकसंपर्क कार्यकर्ताओं या अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भागीदार बनाया जाएगा। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता–आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.) भी इसमें मदद करेंगे और संस्थागत देखभाल, पौष्टिक आहार में सुधार, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास आदि के बारे में लोगों को घर–घर जाकर जानकारी देंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यों के प्रति लचीला रवैया अपनाया जा रहा है ताकि कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। राज्यों और जिलों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि इस कार्यक्रम को एक जनांदोलन बनाया जाए और इसके माध्यम से लोगों को पौष्टिक आहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के तमाम तरीकों से शिक्षित किया जाए। चरणबद्ध तरीके से चलाए जा रहे इस अभियान में 2017–18 तक 315 जिलों को शामिल करने की योजना है। वर्ष 2018–19 में इसमें 235 जिलों को शामिल किया जाना है और बाकी को 2019–20 में इसके दायरे में लाया जाएगा।

किशोरियों के लिए योजनाः किशोरियों के लिए विशेष

अंतरिम बजट 2019–20 में महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख बातें

- आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए है।
- अब तक 'आयुष्मान भारत' के तहत 10 लाख रोगियों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है।
- गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने वाले जनऔषधि केंद्र।
- 2014 से अब तक घोषित 21 एम्स में से वर्तमान में 14 संचालित।
- एकीकृत बाल विकास योजना के लिए आवंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि।
- मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता।
- उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, अगले साल तक सभी 8 करोड़ कनेक्शन दे दिए जाएंगे।
- भारत ने 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल किया है और 5.45 लाख गांवों को 'खुले में शौच मुक्त' घोषित किया गया है।
- 115 सबसे पिछड़े जिलों में विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है।
- गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते खाद्यान्न के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान 1,70,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- मुद्रा ऋण का 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लिया गया।
- सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण को तीन गुना कर दिया।
- शहरी–ग्रामीण विभाजन को कम करने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित खर्च।

अंतरिम बजट 2019-20

महिला विकास और महिला नेतृत्व का विकास

उज्ज्वला योजना के तहत सभी गृहिणियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु 6 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त बांटे गए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

मातृत्व अवकाश का लाभ 26 सप्ताह किया गया और गर्भवती महिलाओं हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

कामकाजी महिलाओं का वित्तीय सशक्तीकरण

योजना 2010 में बनाई गई जिसमें समन्वित बाल विकास सेवा के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं को पोषण संबंधी भेदभाव के परंपरागत कुचक्र को तोड़कर उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना था। स्कूली शिक्षा से वंचित किशोरावस्था से पहले (11–14 साल) की बालिकाओं की बहुआयामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें स्कूली शिक्षा से जुड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किशोरियों के लिए पुनर्गठित योजना को लागू करने की अनुमति प्रदान की। इसे समन्वित बाल विकास सेवा योजना के व्यापक दायरे के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य किशोरावस्था में पहुंची बालिकाओं को सुविधाएं और शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त करना है ताकि वे जागरूक और शिक्षित नागरिक बनें। उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए किशोरियों को अपने विकास और सशक्तीकरण के लिए सक्षम बनाना तथा उनके आहार स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना; उन्हें स्वास्थ्य, आरोग्य और पोषण के बारे में जागरूक बनाना; उन्हें उपलब्ध सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, डाकघर, बैंक, पुलिस थाने आदि के बारे में सूचना/दिशानिर्देश प्रदान करना है।

किशोरियों के कार्यक्रम को 205 जिलों में चलाया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में (2017–18) इस योजना का संशोधित वित्तीय मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ऐसे 303 अतिरिक्त जिलों में विस्तार किया गया जहां अधिक कार्य करने की आवश्यकता थी। दूसरे चरण में (2018–19) योजना का विस्तार संशोधित वित्तीय मानदंडों के अनुसार एक अप्रैल, 2018 से देश के सभी जिलों में कर दिया गया है।

योजना के तहत दो घटकों पर जोर दिया जाता है। पहला, 'पौषिक आहार' जिसमें योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्कूली शिक्षा से वंचित 11–14 साल की प्रत्येक किशोरी को समन्वित बाल विकास सेवा योजना के मानदंडों के अनुसार गर्भवती महिला और शिशु को स्तनपान कराने वाली माता की ही तरह पूरक पोषाहार साल में 300 दिन उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 600 कैलोरी ऊर्जा, 18–20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल रहते हैं। यह पौष्टिक आहार जरूरत के अनुसार घर पर ले जाए जा सकने वाले राशन के रूप में या ताजा पके हुए भोजन के रूप में हो सकता है। योजना का दूसरा घटक है गैर–पोषाहार घटक जिसमें 11–14 साल तक की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को फिर से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने या कौशल शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। गैर–पोषाहार घटक के तहत अन्य सेवाएं हैं : आयरन और फोलिक एसिड प्रतिपूर्ति, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं; पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल तथा सार्वजनिक सेवाएं हासिल करने के बारे में परामर्श/दिशानिर्देश।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : देश के सभी जिलों में 1 जनवरी, 2017 से मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है। इसका नाम 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (पीएमएमवीवाई) रखा गया है और इसके अंतर्गत गर्भवती महिला और शिशु को स्तनपान कराने वाली माता के बैंक/डाकघर खाते में 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि पहले जीवित बच्चे के होने पर जमा करा दी जाती है बशर्ते वह मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी कुछ खास शर्तों को पूरा करती हो। पीएमएमवीवाई का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय की समन्वित बाल विकास सेवा योजना के व्यापक दायरे में आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच से किया जाता है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इसे अपने महिला और बाल विकास/समाज कल्याण विभागों के जरिए केंद्र द्वारा स्थापित वैब–आधारित एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए लागू करते हैं। इसके कार्यान्वयन का केंद्रीय बिंदु आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. कार्यकर्ता होते हैं।

चूंकि केवल सरकारी अस्पतालों को एम.सी.पी. कार्डों के पंजीकरण/अद्यतन करने का अधिकार होता है, निजी अस्पतालों से सेवाएं प्राप्त करने वाले इस सुविधा का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि पीएमएमवीवाई के अंतर्गत कोई किस्त प्राप्त करने के लिए एम.सी.पी. कार्ड का विवरण देना जरूरी होता है। लेकिन अगर सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी/कार्यकर्ता जो ऑग्जीलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्तर से कम का न हो, विधिवत प्रमाणित कर देता है तो पीएमवीवीवाई के अंतर्गत मातृत्व लाभ का दावा कर सकते हैं और ऐसे दावे को क्षेत्र कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ता) को स्वीकार करना होगा।

आगे की राह

ग्रामीण भारत के सामने चुनौतियां हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों पर सीधा असर पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाले कारकों से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और अधिक वित्तीय सहायता और संसाधन आबंटन की जरूरत है इस क्षेत्र में और अधिक संख्या में पेशेवर विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है क्योंकि कई कार्यक्रमों और योजनाओं में स्वास्थ्य और औषधियों के सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं की भी गंभीर जानकारी रखने वाले कौशल–संपन्न कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य देखभाल और सेवा प्रदाताओं को नैतिक मानदंडों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के मानदंडों के आकलन के लिए सरकार ने इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड (भारतीय लोक स्वास्थ्य मानदंड) तैयार किए हैं और सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की निगरानी और विनियमन इन्हीं मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बराबरी के आधार पर भागीदारी की आवश्यकता है।

इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें बीमारियों की रोकथाम और आरोग्य को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाता है, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है। देश की अधिकांश आबादी अस्पतालों में बाह्य रोगी के रूप में बीमारियों के इलाज का खर्च अपनी जेब से चुकाती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी रोकथाम संभव है और अगर समय रहते सरकार कार्रवाई करे तो इनकी रोकथाम की जा सकती है और इलाज का बोझ आसानी से कम किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ–साथ निजी क्षेत्र की समान भागीदारी न केवल नैतिक दृष्टि से उचित है, बल्कि इससे कई संचारी और गैर–संचारी रोगों के इलाज का बोझ कम किया जा सकता है और लोगों को अनावश्यक डाक्टरी हस्तक्षेप से बचने तथा आरोग्यमय जीवन जीने के बारे में जानकारी देकर उनका सशक्तीकरण भी किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें स्थानीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। जन समुदायों को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें निर्णय लेने में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेलः shashi.socialwork@gmail.com

Employment News

Career weekly that provides all information relating to Jobs, Admissions and Career guidance

How to Subscribe

Employment News is available in e-Version as well as Print version. You can subscribe to any of them or both.

Subscription Plan	Print version Price	e-version Price
1 year (52 Issues)	Rs. 530/-	Rs. 400/-
2 years (104 Issues)	Rs.1000/-	Rs. 750/-
3 years (156 Issues)	Rs.1400/-	Rs. 1050/-

For subscription to both Print and e-Version, please visit our website

https:// www.employmentnews.gov.in and click on e- Version tab or click on the link: https://en.eversion.in and follow the steps thereafter.

For any information/ enquiry, contact

Business Wing at +91-11-24367453,24369567

email:businesswng@gmail.com, enewscirculation@gmail.com

ग्रामीण अवसंरचना विकास

–डॉ. के.के. त्रिपाठी

विभिन्न विकासोन्मुख कार्यक्रमों के साथ सही तारतम्य स्थापित करने के लिए एक समकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गरीबी हटाने, लाभकारी रोजगार सृजित करने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य, साफ–सफाई, स्वच्छता और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कई कार्यक्रम पहले से ही पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता, जल संसाधन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और भूमि संसाधन विभागों/मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

भारत गांवों में बसता है। भारत के लगभग 69 फीसदी लोग ग्रामीण हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सर्वांगीण विकास जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय के साथ समान और समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। देश ने नियोजन और लोकतंत्र के पिछले सात दशकों के दौरान आर्थिक विकास के लिए रणनीतिक दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला देखी है। देश के अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने हमेशा एक जीवंत ग्रामीण भारत की परिकल्पना की है और ग्रामीण सुधार और सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचा विस्तार की वकालत की है।

भारत निर्माण 'नामक एक विशिष्ट ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को चार साल (2005–2009) की समय सीमा में लागू करने की योजना थी। कार्यक्रम के तहत छह घटक सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क, आवास और ग्रामीण टेलीफोनी शामिल थे। इस कार्यक्रम के तहत मिशन मोड में अवसंरचना परियोजनाओं के तत्काल निष्पादन के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर भरोसा किया गया। यद्यपि भारत निर्माण ने 2009 तक पर्याप्त प्रगति दर्ज की, लेकिन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम थी। इसे देखते हुए लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय–सीमा का विस्तार 12वीं योजना अवधि (2012–17) तक कर दिया गया। ग्रामीण आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में बुनियादी ढांचे के महत्व को देखते हुए विकास योजनाओं और अन्य विषय विशिष्ट योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। इस संदर्भ में, इस लेख में कुछ ग्रामीण अवसंरचना विकास पहलों की समीक्षा की गई है जिसमें आर्थिक रूप से जीवंत और समतावादी ग्रामीण समाजों की स्थापना में योगदान देने की अपार क्षमता है।

सिंचाई अवसंरचना

सिंचाई क्षमता का निर्माण और स्थापित क्षमता का विस्तार भारत की विकास योजना के महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्यों में शामिल हैं। वर्ष 2016–17 तक बड़ी संख्या में सिंचाई संबद्ध परियोजनाएं वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही थीं और उनमें किए गए निवेश

अंतरिम बजट 2019-20

अवसंरचना विकास

चालू हवाईअड्डों की संख्या सौ से अधिक हुई।

घरेलू यात्रियों की संख्या पिछले पांच सालों में दुगुनी हुई।

भारत 27 किमी. प्रतिदिन की रफ्तार से विश्व में सबसे तेजी से हाइवे बनाने वाला देश हो गया है।

दशकों से अटकी परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

अंतर्देशीय जलमार्गों में कंटेनर माल ढुलाई शुरू कर दी गई है।

को डूबा हुआ निवेश मान लिया गया था। वर्ष 2016–17 के दौरान, 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वरीयता के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत जल्दी पूरा करने को प्राथमिकता दी गई। 76.03 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की इन अपूर्ण परियोजनाओं को चरणों में दिसंबर 2019 तक पूरा करने के साथ–साथ उनके कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (CADWM) के लिए 7,5,595 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

अंतरिम बजट 2019–20 में पीएमकेएसवाई– 'हर खेत को पानी' के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और संभावित मामलों को 96 वंचित सिंचाई जिलों में, जहां उस समय 30 प्रतिशत से भी कम भूमि जोत हेतु सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध थी, भूजल सिंचाई हस्तक्षेप की समीक्षा, पुनर्जीवित और उसे तेज करने की इच्छा जाहिर की गई है। अंतरिम बजट 2019–20 में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी परामर्श के बाद अति–महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार किया गया है और सूक्ष्म–सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके सिंचाई में पानी के कुशल उपयोग की वकालत की गई है।

अंतरिम बजट 2019–20 में एकीकृत जल उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल के एक सरकारी अनुमान के अनुसार, देश में औसत वार्षिक जल क्षमता 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जिसके परिणामस्वरूप पानी की उपलब्धता केवल 1,137 बीसीएम प्रति वर्ष है जिसमें सतही पानी की 690 बीसीएम और पुनः उपयोग के लिए 447 बीसीएम जलक्षमता शामिल हैं। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के चलते प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः 1,816 क्यूबिक मीटर और 1,545 क्यूबिक मीटर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता थी जोकि वर्ष 2025 और 2050 में क्रमशः 1,340 और 1,140 क्यूबिक मीटर तक कम हो सकती है।

इसमें अधिकतम जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत जल संरक्षण और उपयोगकर्ता–इंटरफेस सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई अपने घटकों के माध्यम से सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला जलस्रोत, वितरण, नेटवर्क और खेत–स्तर के आवेदन हेतु 'एंड टू एंड' समाधान दे सकता है बशर्ते इसे ज़मीनी–स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

प्रमुख सिंचाई योजना–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ–साथ जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सार्वजनिक कार्य संबंधी कार्यक्रम और सार्वजनिक जल संरक्षण कार्य प्रशंसनीय हैं। यह वांछनीय है कि सिंचाई की इतने वर्षों में तैयार की गई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए और बनाई गई क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर कम होना चाहिए। पूर्ण सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए निम्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है–

(i) क्षेत्र चैनलों और नालियों का समय पर पूरा होना;

(ii) उपयुक्त भूमि समतल करना और उसे आकार देना;

(iii) ऐसी निर्मित क्षमता की प्रयोज्यता के संदर्भ में निर्णय लेने में किसानों की भागीदारी।

सिंचाई पहल की योजना और निष्पादन चरणों में जल उपयोगकर्ता संघों, स्वयंसहायता समूहों और किसान समूहों की भागीदारी से प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के जरिए अधिकतम इच्छित लाभ मिल सकता है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

चिह्नित आवासीय क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद सरकार का ध्यान चिन्हित घरों में जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुधारने पर चला गया। ग्रामीण पेयजल ढांचा तैयार करने और उसे बरकरार रखने पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के लगातार जोर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल परिचालन के लिए बुनियादी ढांचा और क्षमताएं तैयार हो गईं। एनआरडीडब्ल्यूपी

को पुनर्गठित कर ग्रामीण क्षेत्र में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय जरूरी हैं। इससे एनआरडीडब्ल्यूपी को अधिक प्रतिस्पर्धी, परिणाम–आधारित और परिणामोन्मुख बन जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक 'हर घर जल' यानी हरेक ग्रामीण घर को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने का देश का दीर्घकालिक लक्ष्य है। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए 2018–19 के बजट में 6611 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे 2019–20 के अंतरिम बजट में बढ़ाकर 7750 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अध्ययनों से पता चलता है कि भूजल पर लगातार बढ़ती निर्भरता और उसके जरूरत से अधिक दोहन के कारण भूजल–स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक सरकारी अनुमान में बताया गया कि 1995 से 2004 के बीच असुरक्षित जिलों (अर्ध–गंभीर, गंभीर और अत्यधिक दोहन वाले) का अनुपात 9 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है, प्रभावित क्षेत्रों का अनुपात 5 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत और प्रभावित आबादी का अनुपात 7 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है।

सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि (अ) बेकार पड़े बोर पंपों को तेजी से ठीक कर, जलापूर्ति पाइपलाइन की मरम्मत कर जहां भी जरूरत हो, जल की आपूर्ति बढ़ाकर पिछड़े आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाए; और (आ) पहले से ही किसी योजना के अंतर्गत आ रहे क्षेत्रों में लगातार गुणवत्ता युक्त पानी की आपूर्ति की जाए। इस समय यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं (जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वाटरशेड विकास, जल निकायों के पुनरुद्धार) को एक साथ जोड़ा जाए और जरूरत के आधार पर उसके लिए ग्राम–स्तर की जल योजना एवं बजट तैयार किया जाए।

ग्रामीण स्वच्छता

भारत के स्वच्छ भारत मिशन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन आंदोलन की योजना बनाई गई और उस पर अमल किया गया। परिवर्तन के लिए सरकार और नागरिक समाज के लगातार प्रयासों के कारण भारत में 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र ओडीएफ हो गए हैं। दिसंबर, 2018 तक 5.45 लाख गांव "खुले में शौच से मुक्त" घोषित किए जा चुके हैं। इस सर्वांगीण कार्यक्रम ने लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर नागरिकों की मानसिकता बदलने में काफी सफलता हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2014–15 से 2018–19 (दिसंबर, 2018) के बीच नौ करोड़ घरों में शौचालय बने हैं। शौचालय निर्माण के लिए बजट आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा के साथ उसे जोड़े जाने और गतिविधियों के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखे जाने से सरकार का यह व्यापक कार्यक्रम सफल हुआ है।

विद्युतीकरण

बिजली का बुनियादी ढांचा देश के सतत आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में चिंता का विषय रही है क्योंकि इस क्षेत्र में लक्ष्य अथवा मांग से कम क्षमता जोड़ी गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अलावा सरकार ने देश के सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भी आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत चार करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की मंशा है, जिसके लिए अंतरिम बजट में 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिजली मंत्रालय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा सौभाग्य के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 2.31 करोड़ कनेक्शन मुहैया करा सकता है। इस कार्यक्रम की अहमियत देखते हुए 2019–20 के अंतरिम बजट में इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 4,066 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2018–19 के बजट में 3,800 करोड़ रुपये ही था। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त और सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब हमें मुफ्त या सब्सिडी से चलने वाली बिजली वितरण व्यवस्था त्यागकर प्रतिस्पर्धा भरे उपभोक्ता–आधारित राजस्व संग्रह

एवं साझेदारी मॉडल की ओर बढ़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रह, स्थानीय प्रबंधन, परिचालन तथा विद्युत ढांचे के रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं आदि का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने का समय आ गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण और सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से योजना चल रही है, जो मुख्य नेटवर्क में अछूते रह गए पात्र आवासीय इलाकों को सभी मौसमों में काम करने वाली एकल सड़क से जोड़ते हुए ग्रामीण संपर्क मुहैया कराती है। वर्ष 2000 से चल रही इस योजना में आरंभ से लेकर दिसंबर, 2018 तक 250 से अधिक और 500 से अधिक आबादी वाले 17.84 लाख पात्र संपर्करहित आवासीय क्षेत्रों में से 15.80 लाख क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंजूर की गई कुल 6.50 किलोमीटर लंबी सड़कों में से दिसंबर, 2018 तक 82 प्रतिशत 5.34 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी की जा चुकी हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए मशहूर हैं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े उपाय अपनाए गए और स्वतंत्र गुणवत्ता जांच एवं मापन भी कराया गया। निर्माण के करार में पांच साल तक रखरखाव करने की शर्त ने भी नई सड़कों के रखरखाव में मदद की। चूंकि सभी पात्र ग्रामीण इलाके जुड़ चुके हैं, इसलिए अब इसे मजबूत करने और दायरा बढ़ाने की जरूरत है ताकि गांव–कस्बों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ने वाले प्रमुख संपर्क मार्गों को भी इसमें शामिल किया जा सके। ऐसे संपर्क मार्गों को शामिल करने का विचार करते हुए 2019–20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह 2018–19 के बजट में हुए आवंटन से 27 प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण आवास

2022 तक "सभी को आवास" उपलब्ध कराने के सरकार के सपने को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण आरंभ की गई। सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना में शामिल नहीं किए जाने वाले लोग इस योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। यह ग्रामसभा प्रस्ताव में दर्ज की जाने वाली लाभार्थियों की अलग सूची मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के अंतर्गत पहले चरण (2016–17 से 2018–19) में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य था, जिनमें से 94,45,886 लाख मकानों को 27 दिसंबर, 2018 तक मंजूरी मिल गई। इस योजना के लिए 2019–20 के अंतरिम बजट में 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण आवास मुहैया कराने तथा छूट गए पात्र लाभार्थियों को ग्रामीण आवास परियोजनाओं में शामिल किए जाने के कार्यक्रम सराहनीय हैं, लेकिन आवास निर्माण में लाभार्थियों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभार्थी को निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए यानी निर्माण सामग्री का इंतजाम खुद ही करना चाहिए, कुशल कारीगर लाने चाहिए, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ आवास को अवश्य जोड़ना चाहिए और परिवार को भी कामकाज में मदद करनी चाहिए। लाभार्थियों को खुद फैसला करना चाहिए कि मकान किस तरह से बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण जैसी आवासीय परियोजनाओं में लाभार्थियों की सक्रिय सहभागिता से लागत में कमी आएगी, निर्माण की गुणवत्ता बनी रहेगी, लाभार्थी को अधिक संतोष मिलेगा और उसे मकान अधिक अच्छा लगेगा।

ग्रामीण दूरभाष संपर्क

भारत नागरिकों और उद्यमों की सूचना एवं

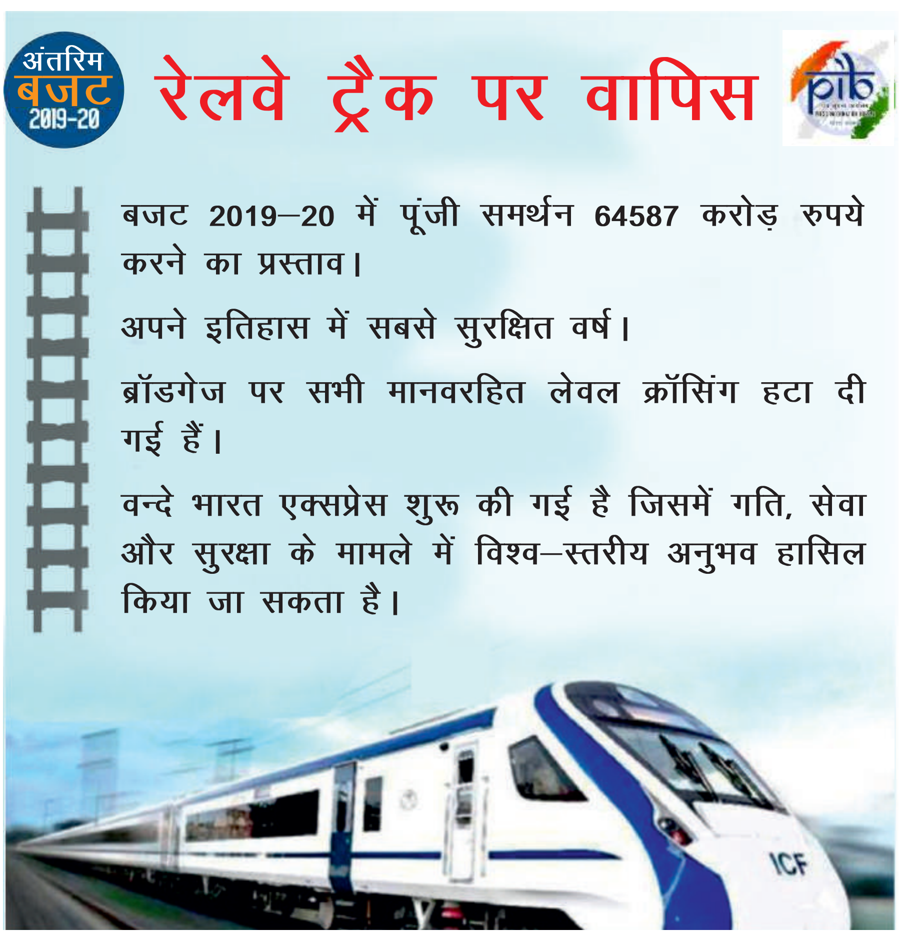

संचार संबंधी जरूरतें पूरी कर खुद को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहा है। यह तभी संभव है, जब डिजिटल संपर्क का सर्वव्यापी, मजबूत एवं किफायती ढांचा तथा सेवाएं स्थापित की जाएं। पिछले दशक में देश ने दूरसंचार का तेज विस्तार देखा है। इसके कारण विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तेज प्रतिस्पर्धा चली है, जिससे किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित हुईं। संचार के क्षेत्र में क्रांति ग्रामीण आबादी को जीवन एवं आजीविका की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है।

प्रत्येक भारतीय गांव को टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने तथा दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है। वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2,341 मोबाइल टावरों का प्रस्ताव है और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 8,621 छूटे हुए गांवों के लिए 6,673 टावरों की योजना है। पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टावर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतनेट परियोजना का लक्ष्य सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्क के जरिए जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार करना है। दिसंबर, 2018 में 3,03,560 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो गया और 1,16,543 ग्राम पंचायतों में उपकरण लगाने का काम पूरा हो गया। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की नीति सूचना के अबाध पारेषण को सुनिश्चित करेगी और ज़मीनी–स्तर की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाएगी।

अंतरिम बजट 2019-20

उत्तर–पूर्व भारत कनेक्टिविटी

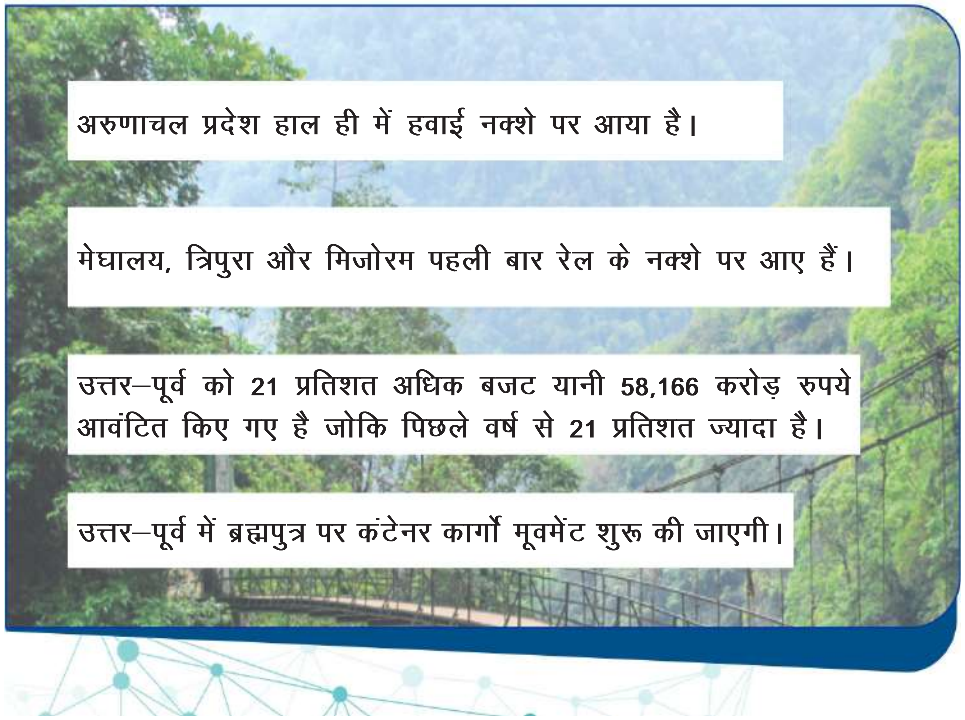

निष्कर्ष

किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है। ग्रामीण अवसंरचना में अन्य बातों के अलावा सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी शामिल है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की पहल और संबंद्ध केंद्र– प्रायोजित योजनाएं ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में वृद्धि की परिकल्पना करती हैं। कार्यक्रम के तहत कुल खर्च का काफी हिस्सा विकास या पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कई परियोजनाओं को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के माध्यम से लागू किया जाता है जोकि कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास हेतु शीर्ष वित्तीय निकाय है।

ग्रामीण अवसंरचना निर्माण की पहल की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एक समकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिससे गरीबी उन्मूलन, लाभकारी रोजगार सृजित करने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने हेतु पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता जल संसाधन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और भूमि संसाधन मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले से चालू योजनाओं के साथ सही अभिसरण स्थापित किया जा सके।

समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए ग्रामीण भारत का विकास अनिवार्य है। हालांकि अंतरिम बजट प्रमुख नीति की अपेक्षा करने का अवसर नहीं है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार पर निरंतर जोर समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में देश के संकल्प को दर्शाता है। कार्यान्वयन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और ज़मीनी–स्तर पर इन योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की चुनौतियां को देखते हुए अपेक्षा है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां सुशासन लाएंगी और ऐसे विकास का अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेंगी।

(लेखक वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक हैं।)

ई–मेल : tripathy123@redffimail.com

हमारे नए प्रकाशन

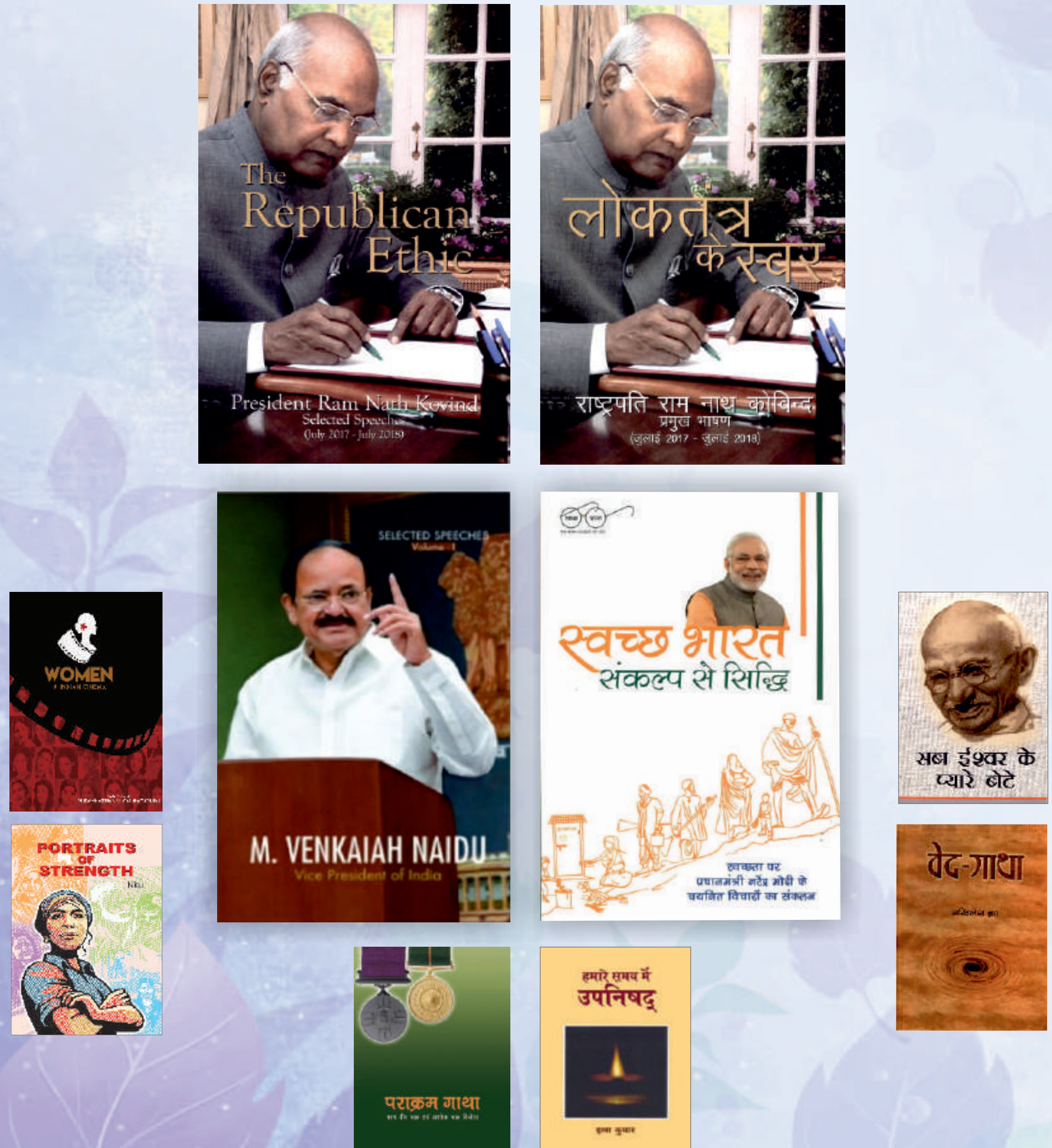

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।
चुनिंदा ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध।

Follow us on twitter @ DPD_India

डिजिटल होता ग्रामीण भारत

–सिद्धार्थ पी. सैकिया

ग्रामीण भारत का विकास डिजिटल संपर्क मात्र से ही नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने समूचे ग्रामीण भारत को अच्छी गुणवत्ता वाली सडकों से जोड़ने पर पूरा ध्यान दिया है। किसी भी देश के विकास एवं जीवन–स्तर की रीढ़ उस देश में निर्मित अवसंरचनाएं हैं। अब चाहे वे राजमार्ग हो, रेलमार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर डिजिटल संपर्क लाईनें। परिवर्तनकारी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार अब नियमित वृद्धि की अवधारणा से भी आगे बढ़ गई है।

किसी भी देश के विकास एवं जीवन–स्तर की रीढ़ उस देश में निर्मित अवसंरचनाएं हैं। अब चाहे वे राजमार्ग हों या रेलमार्ग या फिर डिजिटल संपर्क लाईनें। परिवर्तनकारी उपलब्धियों के लिए सरकार अब नियमित वृद्धि की अवधारणा से भी आगे बढ़ गई है।

भारत को 21वीं सदी में अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने ही होंगे अब जहां सरकार और उसके द्वारा प्रदत्त सेवाएं लोगों के दरवाजे पर ही उपलब्ध हो रही हैं और इनके दीर्घकालीन सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। डिजिटल इंडिया भारत कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी को नए भारत के विकास का इंजन बनाकर देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

गांवों को विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) अब एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीएससी को 2.50 लाख से अधिक पंचायतों तक संपर्क कायम करना है और इसके लिए 750 डिजिटल गांव स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में ग्राम पंचायत–स्तर पर कार्यरत सीएससी सहित लगभग 3.05 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत–स्तर पर 2.11 लाख सीएससी कार्यरत हैं और लगभग 350 प्रकार की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचनाओं के माध्यम से सीएससी ने परिवर्तन की जैसे बयार बहा दी है और बैंकिंग, पेंशन, डिजिटल साक्षरता और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही दुर्गम इलाकों में अपनी पैंठ बना चुकी हैं।

डिजीगांव या डिजिटल गांव को अब देश में ग्रामीण और

डिजिटल इंडिया का विज़न

उपयोगी सेवा के रूप में प्रत्येक नागरिक के लिए अवसंरचना

- सभी ग्राम पंचायतों में प्रमुख उपयोगी सेवा के रूप में तीव्र गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- डिजिटल पहचान संचयन की सुविधा–अनूठी, जीवन पर्यंत, ऑनलाइन और विश्वसनीय।
- व्यक्तिगत–स्तर पर मोबाइल फोन और बैंक खाता डिजिटल एवं वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी करने में सहायक होगा।
- अपने इलाके में मौजूद सामान्य सेवा केंद्र तक आसानी से पहुंच।
- किसी भी पब्लिक क्लाउड में शेयर करने योग्य निजी स्पेस।
- देश में सुरक्षित साइबर स्पेस।

मांग पर प्रशासन एवं सेवाएं

- सभी के लिए आसान सिंगल विंडो पहुंच मुहैया कराने के लिए सभी विभागों अथवा कार्यक्षेत्रों के बीच सीधा संबंध।
- ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर रीयल टाइम में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता।
- आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समस्त नागरिक सुविधाओं को क्लाउड पर रखा जाएगा।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण किया गया।
- एक सीमा से ऊपर वित्तीय लेनदेन कैशलेस और इलेक्ट्रॉनिक किया गया।
- निर्णय सहायता प्रणाली को विकसित करने के लिए जीआईएस का उपयोग।

नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
- सभी डिजिटल संसाधन सार्वभौमिक रूप से सुलभ।
- सभी सरकारी प्रपत्र (दस्तावेज)/प्रमाणपत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे।
- भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता।
- सहभागिता प्रशासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- क्लाउड के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए सभी एंटाटलमेंटस की पोर्टेबलिटी

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक ऐसा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ गांव मान लिया गया है जहां वरिष्ठ नागरिक केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न ई–सेवाओं का लाभ उठाने के साथ ही निजी सेवा प्रदाता संस्थानों द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से रूबरू हो सकते हैं। इन डिजी गांवों को अब एक–एक ऐसे परिवर्तन वाहक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो सामुदायिक सहभागिता और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षमता निर्माण के साथ ही आजीविका का प्रबंध भी करते हैं। इन डिजिटल गांवों के सामुदायिक परिसर में सौर ऊर्जा से प्रकाश सुविधाएं, एलईडी असेम्बली यूनिट, सेनेटरी नैपकिन यूनिट, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से वाई–फाई चौपाल (ग्रामीण वाई–फाई अवसंरचना) के साथ ही कुछ और आधुनिकतम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

डाकघरों को भी बहु सेवा वितरण केंद्र (मल्टी सर्विस डिलीवरी पॉइंट) बनाया जा रहा है और पोस्ट ऑफिस से ही नागरिकों को सभी सीएससी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। डाक विभाग को अब भुगतान बैंक का लाईसेंस भी मिल गया है और अब सीएससी, एसपीवी और डाक विभाग के बीच हुए सहयोग समझौते के बाद अब सीएससी देशभर में नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष से भी कम समय में बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी।

डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। भारत सरकार ने हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने की व्यवस्था की है। अब सीएससी देशभर के दुर्गम क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी तक पूरे देश में दो लाख से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें डिजिटल साक्षर होने का प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत परिवर्तन के सफल एवं सक्षम वाहक (कार्यकर्ता) बनने के लिए प्रशिक्षित युवा अब अपने डिजिटल कौशल का और विकास कर पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रियता से भाग ले सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए उत्तम कोटि की एवं वहनयोग्य स्वास्थ्य सुरक्षा एक तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान और अमल लाने योग्य उपायों हेतु एक तंत्र विकसित करने के लिए सीएससी, एसपीवी और अपोलो ने आपस में हाथ मिलाया है। अभी तक सीएससी कुछ निजी अस्पतालों

की सहायता से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में टेली–परामर्श सेवाएं दे रहा है। पर अब इस नई पहल के बाद टेली–परामर्श सेवाओं को देशभर में 60,000 सीएससी के माध्यम से दिया जा सकेगा।

सीएससी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर देशभर में जन–औषधि केंद्र खोलेंगे तथा रोग निदान सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जेनेरिक औषधियों की बिक्री को भी बढ़ावा देंगे। इस प्रकार टेली–परामर्श, रोग निदान सुविधाएं और जेनेरिक औषधि केंद्रों के साथ यह नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में उत्तम कोटि की वहन योग्य स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा के प्रसार एवं विस्तार को नया आयाम दे सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए), जोकि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबी–एनएचपीएम) को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है, ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आने वाले सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके द्वारा लाभार्थियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं तथा पात्रता सत्यापन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एबी–एनएचपीएम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पात्रता/योग्यता के अनुसार मिलते हैं न कि नामांकन के आधार पर। इसलिए देशभर में फैले हुए तीन लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन केंद्रों से संभावित लाभार्थियों को जरुरी जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी पात्रता का सत्यापन भी करा सकेंगे।

किसानों का मददगार डिजिटल इंडिया

- एम. किसान पोर्टल पर कृषि संबंधी परामर्श लेने वाले किसानों की संख्या 14 दिसंबर, 2018 तक 49,360,436 रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 24,162,192 दर्ज की गई।
- किसान सुविधा एप का डाउनलोड 14 दिसंबर, 2018 को इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 24,255 डाउनलोडस की तुलना में बढ़कर 9,01,192 हो गया।
- वर्ष के दौरान किसान सुविधा मोबाइल एप में चार नई सेवाएं जोड़ी गईं जिससे एप पर उपलब्ध कुल सेवाओं की संख्या बढ़ कर 10 हो गई।

स्रोतः प्रेस सूचना कार्यालय

सीएससी को लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) तक संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वे एसईसीसी और आरएसबीवाई डाटा बेस का इस्तेमाल करते हुए पात्र/उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करते हुए उनके आवेदनों की पुष्टि करेंगे। बीआरएस के माध्यम से पात्र लाभार्थी का सत्यापन करने से जरूरी सूचनाओं का वांछित लक्ष्य तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इससे 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत लाभ लेना सुविधाजनक हो सकेगा। इसके लिए बीआईएस तैयार किया जा चुका है और कई राज्यों में इसके पायलट परीक्षण भी किए जा रहे हैं।

उचित मूल्यों पर एवं नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति के बिना डिजिटल भारत सफल नहीं हो सकता है। तेजी से ग्रामीण विकास हो, इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मूलभूत आवश्यकता है। साथ ही, यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र और कृषि–आधारित औद्योगिक ढांचा खड़ा करना सुनिश्चित करने की भी आधारशिला है।

व्यावहारिक और विश्वसनीय बिजली सप्लाई मिलने से कृषि क्षेत्र और श्रम क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के प्रसार और पहुंच में सुधार होता है, संचार सुविधाएं पहुंच में होती हैं, सूर्यास्त के बाद प्रकाश व्यवस्था में सुधार, समय और ऊर्जा की बचत करने वाले कारखानों, गाड़ियों, मोटरों और पंपों के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था बढ़ा कर जन सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसी व्यवस्था की जा सकती है।

उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होने और लोगों के जीवन–स्तर में सुधार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। अतः ग्रामीण आधारभूत अवसंरचनाओं के नियमित अंतराल पर विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

'सौभाग्य योजना' के अंतर्गत सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। मार्च 2019 तक प्रत्येक इच्छुक परिवार को बिजली कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। साथ ही, निजी क्षेत्र ने 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाए हैं। इससे निर्धन और मध्यम वर्ग के बिजली बिलों में 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

सौभाग्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों (एपीएल और बीपीएल सभी परिवार) तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

अंतरिम बजट 2019-20

डिजिटल भारत क्रांति

मोबाइल डाटा के उपयोग के मामले में भारत अब विश्व में अग्रणी है।

मोबाइल और उसके पार्ट बनाने वाली कंपनियां 2 से बढ़ कर 268 हो गई हैं।

तीन लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

अगले पांच वर्षों में एक लाख से अधिक डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।

पांच सालों में 34 करोड़ बैंक खाते खुले हैं।

डिस्कॉम (DISCOM) अथवा राज्य बिजली वितरण इकाइयां गांवों अथवा गांवों के समूहों के बीच शिविर लगाती हैं जिसमें मौके पर ही आवेदन–पत्र भरवा कर इच्छुक परिवारों को हाथ के हाथ बिजली कनेक्शन दिया जाता है।

ये इकाइयां इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवेदन–पत्र स्वीकार करने और उन्हें एकत्र करने के साथ ही कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया बताने के लिए सोद्देश्य तैयार वेबपोर्टल और मोबाइल एप के उपयोग जैसी अनूठी प्रक्रिया भी अपना रही हैं।

समूचे ग्रामीण भारत को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ने के काम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य तिगुना हो गया है। जैसाकि 01 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है कि 2018–19 में 15,500 करोड़ रुपये के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान द्वारा 19,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक संपर्क से वंचित किंतु पात्र गांवों को वर्ष भर चलने वाली सड़कों से जोड़ना हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के मैदानी भागों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले अभी तक संपर्क से वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना है।

250 या अधिक जनसंख्या वाले विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड, रेगिस्तानी क्षेत्र (मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने हुए गांव) तथा गृह मंत्रालय/नीति आयोग द्वारा चिन्हित 88 चयनित जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग वाले गांव भी इस योजना के पात्र हैं। अत्यधिक सघन समन्वित कार्ययोजना (आईएपी) के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 100 तथा इससे अधिक की आबादी वाली आवासीय बसावटें भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन पात्र हैं।

बीपीओ अभियान रोजगार के अवसरों का सृजन करने एवं आईटी–आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने और एक संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए धीरे–धीरे ही सही पर छोटे कस्बों/ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है। भारत में बीपीओ योजना के अंतर्गत 163 कंपनियों को 45,840 सीटें आबंटित की गई हैं। परिणामस्वरूप 20 राज्यों और 02 केंद्रशासित प्रदेशों में 110 स्थानों पर 240 इकाइयों की स्थापना की गई है।

बीपीओ स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को रोजगार भी दे रहे हैं। बीपीओ ने कई स्थानों पर अपनी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं इनमें जम्मू और कश्मीर में भदरवाह, बडगाम, जम्मू, सोपोर तथा श्रीनगर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, कोहिमा और इम्फाल, हिमाचल प्रदेश में बद्दी और शिमला, बिहार में पटना एवं मुजफ्फरपुर तथा ओडिशा में जालेश्वर शामिल हैं।

(लेखक नई दिल्ली में संचार रणनीतिकार और पूर्व पत्रकार हैं।)

ई–मेल : siddarthapsaikia@gmail.com

विद्युतीकृत गांव - पॉवर सरप्लस भारत

–डॉ. अभिलाषा शर्मा

'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' का उद्देश्य भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना है। योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। देश में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर जिन नागरिकों का नाम जनगणना में शामिल है तथा जिनके घर बिजली कनेक्शन की सेवा उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

विद्युत आधुनिक जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, और इसे मूल मानवीय आवश्यकता के रूप में माना गया है। यह महत्वपूर्ण मूल संरचना है जिस पर देश का सामाजिक–आर्थिक विकास निर्भर करता है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत बिजली समवर्ती सूची का विषय है, जहां केंद्र व राज्य दोनों को देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विद्युत संबंधी नीतियां बनाने का अधिकार दिया गया है।

गांधीजी के 'सपनों का भारत' गांवों के सशक्त व आत्मनिर्भर होने की बात करता है। देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सभी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। आज हम बिजली के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे द्वारा किए जाने वाले रोजमर्रा के कार्यों का आधार है बिजली। एक विकसित देश की अवधारणा सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, चिकित्सा आदि के पूर्ण विकास पर निर्भर करती है, और बिना बिजली के यह विकास असंभव है।

विद्युतीकृत देश की अवधारणा का आधार गांवों का विद्युतीकरण है। इसके लिए समय–समय पर भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए ताकि न केवल शहरों तक बल्कि दूरदराज के सभी गांवों एवं बस्तियों तक भी बिजली पहुंचाई जा सके, और देश का संपूर्ण विकास किया जा सके।

गांव के विद्युतीकृत होने से तात्पर्य है कि गांव का पॉवर ग्रिड से जुड़ा होना। यदि पॉवर ग्रिड से बिजली की केबल प्रत्येक गांव में एक ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है और गांव में स्कूलों, स्वास्थ्य–केंद्रों समेत 10 प्रतिशत घरों में बिजली की पहुंच है तो यह गांव एक 'विद्युतीकृत गांव' माना जाता है। किंतु विद्युतीकरण की यह परिभाषा एक बहस का मुद्दा है, चूंकि केवल 10 प्रतिशत हिस्से का (घरों का) विद्युतीकृत होना संपूर्ण गांव के विद्युतीकरण से परे है।

गांवों को विद्युतीकृत करने की दिशा में समय–समय पर

विभिन्न नीतियां बनाई गई ताकि प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

- अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 'भारत निर्माण मिशन' के तहत शुरू की गई।
- इस योजना में अन्य बातों के अलावा कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अनुसार सभी ग्रामीण बस्तियों में 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी से गरीबी–रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विद्युत आपूर्ति के लिए सब्सिडी उपलबध कराने की व्यवस्था की गई।
- योजना के तहत 31 मार्च, 2006 तक 9819 गांवों को विद्युतीकृत किया गया।
- योजना के अंतर्गत गरीब लोगों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाना भी शामिल है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 तक देशभर में सातों दिन चौबीस घंटे बिजली देने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। बिजली के माध्यम से एक नई दिशा, जीवन में उजाला व तकनीक से देश के आखिरी व्यक्ति को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार द्वारा नवंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की घोषणा की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर 1 मई, 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना रखा गया।

डीडीयूजीजेवाई को विद्युत मंत्रालय द्वारा एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख पहल के रूप में फीडर लाईन को अलग किया गया है। विद्युत की कुल आपूर्ति कृषि व गैर–कृषि क्षेत्रों में सम्मिलित रूप में होने के कारण दोनों क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न हो पाना व एक अतिव्यापन की स्थिति का बन जाना एक संकट था। जिसके कारण न तो कृषि कार्यों के लिए पूर्ण बिजली मिल पाती थी न ही गैर–कृषि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हो पाती थी।

डीडीयूजीजेवाई के माध्यम से फीडर लाईन को अलग किया गया तथा दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया गया है। साल 2006 में इसी प्रकार गुजरात में ज्योति ग्राम योजना के तहत फीडर लाईन को अलग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण विद्युत आपूर्ति में सफलता प्राप्त की गई।

योजना के प्रमुख घटक

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर–कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर–कृषि फीडरों का पृथक्करण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की नपाई सहित उप–पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सृदृढ़ीकरण एवं आवर्धन।
- राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रोग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को पूरा किया जाना।

मुख्य विशेषताएं

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को डीडीयूजीजेवाई में सम्मिलित किया गया है।
- सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है।
- प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) के जरिए नजदीकी से नजर रखा जाना निश्चित किया गया है।

गर्व पोर्टल (जीएआरवी पोर्टल)

डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत गर्व पार्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रगति पर वास्तविक अपडेट प्रदान करके नीति निर्माण–सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण आयाम सुनिश्चित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट फोन या इंटरनेट के जरिए कोई भी नागरिक ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति पर नज़र रख सकता है। इस पोर्टल पर प्रत्येक विद्युतीकृत गांव की विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें विद्युतीकरण की तारीख, स्थानीय लाइनमैन का विवरण, लगाए गए खम्भे की तस्वीरें आदि को शामिल किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ज़मीनी हकीकत से वाकिफ हो पाना सरल हुआ है।

सौभाग्य योजना

ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में तथा डीडीयूजीजेवाई योजना को अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में 25 सितंबर, 2017 को 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना है। योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। देश में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर जिन नागरिकों का नाम जनगणना में शामिल है तथा जिनके घर बिजली कनेक्शन की सेवा उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं तथा ऐसे नागरिक जिनका नाम जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें मात्र 500 रुपये के शुल्क पर, जिसका दस किश्तों में भुगतान किया जा सकता है, पर कनेक्शन मुहैया करवाया गया है। इस योजना के लिए कुल राशि 16,320 करोड़ रुपये सुनिश्चित की गई जिसमें 14,025 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सुनिश्चित किए गए। योजना के अंतर्गत यह भी शामिल किया गया है कि दिए जाने वाले सोलर पैक संसाधनों की मरम्मत पर खर्च पांच सालों तक सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। वेबपोर्टल

पेज के अलावा इस स्कीम से जुड़ी एक मोबाइल एप भी है, जिसके माध्यम से भी लोग इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 59,82,386 घरों को विद्युतीकृत कर दिया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है जहां 93 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन लग चुके हैं।

विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण

देश में सौर ऊर्जा प्रचुरता में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को ऊर्जा में फोटोवोल्टीय प्रणाली द्वारा बदला जा सकता है। इस प्रणाली में सौर पैनल कई फोटोवोल्टीय सेलों से मिलकर बने होते हैं। कई सौर पैनलों से मिलकर एक सौर एरे बनता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से संतृप्त सोलर पॉवर में लैंसों या दर्पणों एवं ट्रेकिंग प्रणाली द्वारा भी बदला जा सकता है।

दूरस्थ गांवों तक परंपरागत यानी नेशनल ग्रिड द्वारा बिजली पहुंचाना संभव नहीं होता। अतः इसमें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से ही काम लिया जाता है। हाल के वर्षों में मिनी सोलर ग्रिड, हाईब्रिड सोलर विंड तथा हाईब्रिड सोलन बायोगैस की संकल्पना भी उभर कर आई है, इससे विद्युतीकरण की प्रक्रिया आसान हुई है।

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 70 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना को चलाया जा रहा है। यह योजना आईआईटी, बॉम्बे (मुम्बई) के साथ साझा रूप से संचालित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य 70 लाख ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला सस्ता और स्वच्छ प्रकाश सौर अध्ययन लैंप द्वारा तेजी से व आसान तरीके से गांवों तक पहुंचा कर उन्हें विद्युतीकृत करना तथा गैर–विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों में छात्रों के लिए सौर अध्ययन लैंप द्वारा साफ प्रकाश पहुंचाना व वंचित बच्चों की सहायता करना, जो परोक्ष रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को कम करती है, का लक्ष्य है।

- 11 जनवरी 2010 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान आरंभ। जिसका लक्ष्य सन 2022 तक 20 गीगावाट ग्रिड सौर पॉवर तथा 2000 मेगावॉट ऑफ ग्रिड सौर पॉवर का उत्पादन रखा गया जिसे जनवरी 2018 में ही प्राप्त कर लिया गया।
- 2022 तक अब 100 गीगावॉट सौर उत्पादन का नया लक्ष्य तय किया गया है।
- मई 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआईई) ने नई विंड सोलर नीति की भी घोषणा की है।
- सौर एवं पवन ऊर्जा के अलावा जैव भार यानी बायोमास ऊर्जा तथा लघु पनबिजली ऊर्जा का भी देश के समग्र विद्युतीकरण में योगदान है। फसलों के अपशिष्ट, सूखी पत्तियों, डंठलों, गन्ने की खोई, चावल और गेहूं की भूसी आदि बायोमास को गैसी फायर्स द्वारा गैसीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा में बदला जाता है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की टैक्नोलॉजी उपलब्ध है। देश में बायोमास से उत्पन्न विद्युत बायोमास पॉवर की स्थापित क्षमता 31 मई, 2018 तक 8839.10 मेगावॉट थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में प्रगति

इस दिशा में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुल 921 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ताकि बिन बिजली वाले गांवों को रोशन किया जा सके। अब तक कुल 5,92,779 आधे–अधूरे बिजली आपूर्ति वाले गांवों में गहन विद्युतीकरण का काम किया गया है। गांवों के कुल 397.45 लाख बी.पी.एल. परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। डी.डी.यू.जी.जे.वाई. योजना के तहत बिजली के वितरण पर खास ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन लाईन में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013–14 में ट्रांसमिशन लाईन का विस्तार 16,743 सर्किट कि.मी. था, जो 2015–16 में बढ़कर 28,114 सर्किट कि.मी. किया गया, जिससे विद्युत की अधिक से अधिक आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने के उद्देश्य के तहत विद्युत क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण एप जैसे ऊर्जा एप, सौभाग्य पोर्टल, केंद्रीय विद्युत पोर्टल, मेरिट पोर्टल की शुरुआत की गई। पूरे देश में 'उजाला योजना' के तहत अब तक 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है और करीब 41 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। मणिपुर के सेनापति जिले के लिसांग गांव में 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ, जिसके साथ ही 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

(लेखिका सेंट विल्फ्रेड्स पी.जी. कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई–मेल : **abhilasha_sharma1988@rediffmail.com**

जागरूकता में बदली स्वच्छता

–संजय श्रीवास्तव

स्वच्छ भारत अभियान ऐसा अभियान है, जो मांग–आधारित एवं जनकेंद्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाया जाए। कहा जाता है कि जागरूकता जब विचारों में ढल जाती है और उस पर लगातार सक्रियता बनी रहती है तो 10–15 सालों में ये आदत बन जाती है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान देश के ज्यादातर गांवों तक पहुंच चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की 98 फीसदी ग्रामीण आबादी इसके तहत आ चुकी है।

महात्मा गांधी 1920 के दशक में अपने भाषणों में देश के लोगों से हमेशा सफाई की बात करते थे। अपने देशव्यापी दौरों में वो जिस तरह तमाम शहरों को देखते थे, उससे उन्हें लगता था कि देश के लोग सफाई को लेकर जागरूक नहीं हैं। लिहाजा हमारे सार्वजनिक स्थानों पर हर जगह गंदगी का आलम है। गांधीजी की इस बात पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। 02 अक्टूबर, 2014 को जब गांधीजी की इस इच्छा को सामने रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई, उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि लोगों में सफाई को लेकर एक जागरूकता आ चुकी है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक तौर पर सफाई अभियान रंग लेता लगने लगा है। हाल ही में बिल गेट्स ने भारत के स्वच्छता अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर भारत में स्वच्छता अभियान जारी रहा तो ये ना केवल इस देश के लिए बहुत बढ़िया होगा बल्कि पूरी दुनिया को भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। गेट्स ने कहा कि अच्छी बात ये है कि भारत में लोगों के बीच सफाई को लेकर बातचीत होने लगी है। दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि स्वच्छता हमारे जीवन में अहम रोल निभाती है।

स्वच्छ भारत और निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा ऐसा अभियान है, जो मांग–आधारित एवं जनकेंद्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाया जाए। स्व–सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा होने पर ग्रामीणों का जीवन–स्तर खुद–ब–खुद बेहतर हो जाएगा। गांव न केवल स्वच्छ होंगे बल्कि काफी हद तक बीमारियों से मुक्त भी हो जाएंगे।

कहा जाता है कि जागरूकता जब विचारों में ढल जाती है और उस पर लगातार सक्रियता बनी रहती है तो 10–15 सालों में ये आदत बन जाती है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान देश के ज्यादातर गांवों तक पहुंच चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की 98 फीसदी ग्रामीण आबादी इसके तहत आ चुकी है।

स्वच्छता की शक्ति बनी ये महिलाएं

पिछले दिनों 12 महिलाओं को स्वच्छ शक्ति 2019 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यहां हम उनमें से आठ ऐसी महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए नई पहचान बनाई है।

पंजाब के मोहाली के चंडियाल गांव की रीटा रानी ने जब शौचालय बनाने शुरू किए तो ग्रामीणों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन गांव की महिलाओं ने उनका साथ देना शुरू किया। पहले तीन महीने में ही गांव में 190 शौचालय तैयार हो गए। जब महिलाओं ने इन शौचालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें सुविधा और शर्म से भी निजात मिली। अब गांव के हर घर में सुंदर शौचालय हैं।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की पुष्पा देवी बारहवीं पास हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू होते ही गांव में इसकी कमान संभाली। उनकी मेहनत का परिणाम है कि उसका गांव साफ–सफाई में अव्वल है। केंद्रीय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से जब स्वच्छ सुंदर शौचालय अभियान की शुरुआत की गई तो लोगों ने आगे आकर अपने शौचालयों को रंग दिया। अब यही शौचालय घर का सबसे सुंदर हिस्सा हैं।

मध्यप्रदेश के छानवे गांव की सरपंच लक्ष्मी बाई जाट कभी स्कूल नहीं गईं। अब उनके गांव में हर घर में शौचालय है।

हरियाणा के पंचकुला जिले के धारवा गांव की सरपंच रेखा रानी ने स्वच्छता की नई इबारत लिख दी है। 1080 आबादी वाले गांव में 190 शौचालय हैं। सभी शौचालयों को पेंट से सजाया गया है। सार्वजनिक शौचालय भी हमेशा साफ रहते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम को पूरे गांव में गंदगी का नामोनिशान नहीं मिला। रेखा रानी की उपलब्धि पर केवल उनका गांव ही नहीं पूरा हरियाणा नाज करता है।

तमिलनाडु के गांव इरुंबेड की सरपंच एस राधिका के गांव के सभी 2004 घरों में शौचालय बने हुए हैं। उन्होंने खुद कई साल से इसके लिए मोर्चा संभाला हुआ है।

झारखंड के प्लामेट जिले के गांव चियांके की 27 वर्षीय सरपंच बिनकोरा को इंजीनियरिंग करने के बाद बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उन्होंने पहले अपने गांव की हालत सुधारने का निश्चय किया। 24 वर्ष की उम्र में सरपंच का चुनाव जीता। सरपंच बनने के तीन साल के भीतर 1100 घरों में शौचालय बनवाए। जब उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी तो गांव के लोगों ने विरोध भी किया लेकिन बाद में स्वच्छता की बात लोगों की समझ में आने लगी।

महाराष्ट्र के नागपुर के गांव बामनी की सरपंच माधुरी वासुदेव की आंखों में बदलाव का सपना था, जोकि उन्होंने एक साल के कार्यकाल में कर दिखाया। गांव में खुले में शौच जाने की परंपरा को तोड़ना मुश्किल था। गांवों में आमतौर पर ये धारणा होती है कि शौच के लिए घर से बाहर ही जाना चाहिए। इसमें पुरुषों को तो दिक्कत नहीं होती, मगर महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस होती थी। उनके स्वच्छता अभियान की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं ही बनीं। लगातार प्रयास के बाद गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है और निर्मल भी। गांव में कचरा प्रबंधन पर भी काम किया गया।

महाराष्ट्र की दादरा नगर हवेली सिलवासा पंचायत की सदस्य सनु बेन ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ गांव को पूरी तरह से खुले में शौचमुक्त बनाया।

आंकड़े कहते हैं कि अब तक 27 राज्यों के 5.5 लाख गांव खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। 05 फरवरी, 2019 तक 9.16 करोड़ टायलेट बन गए। इसमें से 2.94 करोड़ टायलेट तो पिछले दो सालों में बनाए गए हैं। इसमें 601 जिले, 5934 ब्लॉक, 2,46,116 ग्राम पंचायतें और 5,50,151 गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इस पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, ये रकम राज्य और केंद्र सरकारों ने पिछले साढ़े तीन साल में खर्च की है।

इस स्कीम में सरकार 'हर घर में शौचालय' के निर्माण के लिए गरीबी–रेखा से नीचे रहने वालों को 12 हजार रुपये देती है। ऐसी ही मदद गरीबी रेखा से ऊपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और मझोले किसानों और भूमिहीन मजदूरों को भी दी जाती है। इस अभियान में 60 फीसदी रकम केंद्र द्वारा लगाई जाती है तो 40 फीसदी राज्यों के जरिए। हालांकि नार्थ–ईस्ट राज्यों में तस्वीर कुछ अलग है। वहां कहीं–कहीं केंद्र ने 90 फीसदी तक आर्थिक मदद की है। प्राइवेट कंपनियों को भी सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से ग्रामीण स्वच्छता के लिए काम करने को प्रेरित किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में शौचालय है, वहां ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साफ है कि ग्रामीण इलाके के लोगों की आदतों में तेजी से बदलाव आ रहा है। शौचालय के उपयोग में वो किसी से पीछे नहीं हैं। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की और से विश्व बैंक समर्थित स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के अंतर्गत एक स्वंतत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93.4 प्रतिशत होने की पुष्टि हुई है। यानी, जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है, उनमें से 93.4 प्रतिशत उसका उपयोग भी करते हैं।

जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह से ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, उसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षदीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड शामिल हैं।

जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित और सत्यापित किया गया है, सर्वेक्षण एजेंसी ने उनमें से 95.6 प्रतिशत गावों के खुले में शौच मुक्त होने की पुष्टि की है। ये सर्वेक्षण मध्य नवंबर 2017 और मध्य मार्च 2018 के बीच किया गया। इसके अंतर्गत 6136 गांवों के 92,040 घरों का स्वच्छता संबंधी विषयों पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अंतर्गत गांवों के स्कूल, आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक शौचालयों का भी सर्वेक्षण किया गया। जाहिर है अब जब इसके नए आंकड़े आएंगे तो तस्वीर और बेहतर नजर आएगी।

बचत के साथ बीमारियों से बचाव भी

यूनिसेफ ने पहले कहा था कि स्वच्छता का अभाव भारत में हर साल एक लाख से भी अधिक बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार

है। अब यूनिसेफ का कहना है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वच्छता अभियान से ना केवल बीमारियां कम हो रही हैं बल्कि इसका खर्च बचने से ओडीएफ गांव का हर परिवार 50 हजार रुपये सालाना की बचत भी कर पा रहा है।

डब्ल्यूएचओ भी कर चुका है तारीफ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी इस अभियान की तारीफ कर चुका है। डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ रिचर्ड जॉनस्टन ने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' से बड़े पैमाने पर लोग मौत के मुंह में जाने से बचा लिए जाएंगे।

सफाई का बीमारियों में कमी से है सीधा रिश्ता

शुद्ध पेयजय और शौचमुक्त गांवों और जिलों के बढ़ने से मां और नवजात बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा पा रहा है। ये हालत अगर स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश बना रही है तो इसका असर हमारे सकल घरेलू उत्पाद की बेहतर सेहत पर पड़ेगा। जब स्वच्छता बढ़ेगी, पेयजल शुद्ध होगा तो खानपान भी बेहतर होगा। इससे बीमारियों में गिरावट आएगी, एक साल पहले के आंकड़े बताते हैं ओडीएफ जिलों में 62.5 फीसदी मांएं स्वस्थ पाई हैं तो गैर ओडीएफ जिलों में ये स्थिति 57.5 फीसदी की रही। जिन घरों में पाइप से पीने का पानी आता है, वहां संक्रमण अपने निम्न–स्तर पर है। पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के बीच जिस तालमेल की जरूरत है, वो बेहतर दिखने लगा है।

हमें ये भी जानना चाहिए कि मानव मल किस तरह पर्यावरण को ना केवल प्रदूषित करता है बल्कि स्वास्थ्य पर खराब असर भी डालता है। मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं। एक ग्राम मानव मल में एक करोड़ वायरस, दस लाख बैक्टीरिया, 100 परजीवी अंडे आदि होते हैं। लिहाजा खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, रोहा, हुक वार्म, मलेरिया, फालेरिया, पीलिया, टिटनस आदि बीमारियां हो सकती हैं। इनसे अब गांवों में काफी हद तक बचाव होने लगा है।

अगला कदम

जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है सफाई को लेकर सक्रियता लगातार जब कई सालों तक जारी रहेगी तो ये हमारी आदतों में दिखने लगेगी। इसलिए सरकार की योजना अपने कदम को केवल ओडीएफ तक सीमित रखने की नहीं है बल्कि इसके बाद ओडीएफ प्लस जैसा कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्थानीय तौर पर ठोस और द्रव अपशिष्टों के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर काम होगा। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल से पूंजी तैयार की जाएगी। यानी कचरे को जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में बदला जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sanjayratan@gmail.com

फॉर्म–IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका का स्वामित्व तथा अन्य विवरण

(1) प्रकाशन का स्थान	:	नई दिल्ली
(2) प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
(3) मुद्रक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
(4) प्रकाशक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
(5) संपादक का नाम	:	ललिता खुराना
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655 प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
(6) उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी या हिस्सेदार हों	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली–110001

मैं डॉ. साधना राउत घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 15.02.2019

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु के चुनिंदा भाषणों के संकलन की पुस्तक का लोकार्पण

माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु के भाषणों के संकलन की पुस्तक 'सेलेक्टिड स्पीचिज– वॉल्यूम–1' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय युवा मामले और खेल व सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु की गरिमामयी उपस्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित उनके चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक सेलेक्टिड स्पीचिज़– वॉल्यूम–1 का भारत रत्न तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकार्पण किया। इस मौके पर माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय युवा मामले और खेल एवं सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश, उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ. आई. वी. सुब्बा राव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की याद में मौन भी रखा।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पुस्तक का लोकार्पण सुनिश्चित करने हेतु लगन से कार्य करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा ''मैं आप सभी को इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, जो मेरी मौजूदा भूमिका के पहले साल के दौरान मेरे मिशन से जुड़ी है। संक्षेप में कहें तो यह सभी हितधारकों की अंतरात्मा को जागृत करने का एक ईमानदार प्रयास है, ताकि वे आत्मनिरीक्षण कर देश को नए क्षितिज पर ले जाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें। युवा भारत अपने भविष्य को पारिभाषित और हासिल करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में हमारे अतीत का स्मरण कर और वर्तमान को प्रतिबिंबित कर मैंने इस दिशा में गंभीर प्रयास किया है।'' श्री नायडु ने देश और विभिन्न संस्थाओं से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। साथ ही, उन्होंने अतीत के आधार पर लोगों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए एकजुट प्रयास करने की जरूरत और वर्तमान समस्याओं से असरदार ढंग से निपटने पर भी बल दिया।

माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री एम. वेंकैया नायडु के साथ अपने लंबी अवधि के संबंधों को याद किया और पुस्तक के लोकार्पण के लिए माननीय उपराष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने कहा, 'श्री नायडु द्वारा दिए गए भाषण सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध अनुभव, भारत के भविष्य के लिए उनके विज़न और आकांक्षाओं व अपेक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाते हैं। बेहतरीन डिजाइन और साज–सज्जा के साथ पुस्तक की प्रस्तुति के लिए उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई भी दी। साथ ही, श्री मुखर्जी ने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के विभिन्न पहलुओं पर 13 से भी ज्यादा विश्वस्तरीय पुस्तकें प्रकाशित कीं। उन्होंने प्रकाशन विभाग को उनके विशेषज्ञतापूर्ण और अग्रगामी कार्य के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, ''मैंने उपराष्ट्रपति के साथ काम किया है और यह बेहद सम्मान की बात है। उनका विवेक, बुद्धि और विज़न सब कुछ उन भाषणों में प्रतिबिंबित होता है, जिन्हें अब पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।'' उन्होंने यह भी कहा कि आज के युग में युवा पीढ़ी इन पुस्तकों को आसान प्रारूप में पढ़ सके, इसीलिए ये सभी पुस्तकें ऑनलाइन, रिटेल और ई–संस्करण में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस पुस्तक में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु के 92 भाषणों का संकलन है, जिन्हें छह श्रेणियों में बांटा गया है– फंकशनिंग ऑफ लेजिसलेचर्स (विधायिका की कार्यप्रणाली), नेशन एंड नेशनलिज़्म (राष्ट्र और राष्ट्रवाद), पॉलिटी एंड गर्वनेंस (सरकारी–तंत्र और शासन), इकोनॉमिक डेवेलपमेंट (आर्थिक विकास), मीडिया (मीडिया), इंडिया एंड द वर्ल्ड (भारत और विश्व)। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में उपलब्ध है। यह पुस्तक www.bharatkosh.gov.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पुस्तक का ई–संस्करण एमेजॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध है। ❑

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

Code No. 870 ₹ 335/-

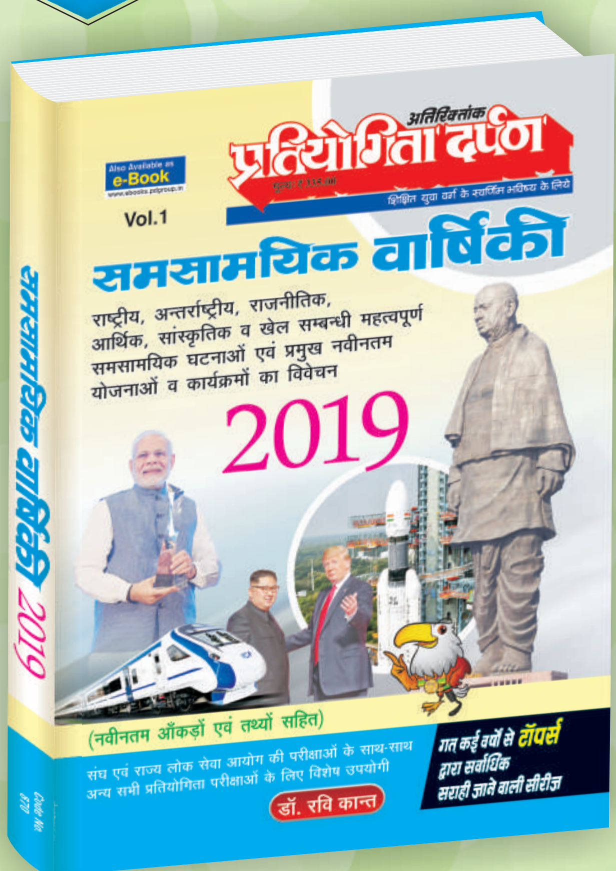

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व खेल सम्बन्धी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं एवं प्रमुख नवीनतम योजनाओं व कार्यक्रमों का विवेचन

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

नवीनतम आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी

Scan the QR Code with your mobile and open the link to see the range of extra issues.

QRPD002S

Download FREE QR Scanner app from the app store

English Edition
Code No. 801 ₹ 250.00

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in

• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर मो. 09370877776 • इन्दौर 9203908088

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
25 फरवरी, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स)
- इतिहास (वैकल्पिक विषय)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स)
- दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स)
- हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय)

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (43 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (36 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (36 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

7 मार्च

प्रातः 11:30 बजे

For UPSC CSE (in English Medium)

- Prelims (18 GS + 3 CSAT Booklets)
- Mains (18 GS Booklets)
- Prelims + Mains (36 GS + 3 CSAT Booklets)

For UPPCS (in English Medium)

- Mains (19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets)

Invitation Offer for UPPCS

Free 6 Months Subscription of Drishti Current Affairs Today Magazine for comprehensive coverage of current affairs

For Exciting offers visit our website "drishtiIAS.com" or call 8448485520

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485519, 8448485520, 87501-87501

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना